षोडश माला, खंड 21, अंक 17 गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2016

17 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

चन्दर मोहन
अपर सचिव

बसन्त प्रसाद
निदेशक

रजिन्दर कुमार
संयुक्त निदेशक

जगदीश चोपड़ा
उप निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 17, गुरूवार, 8 दिसम्बर, 2016 / 17 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 325	13-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340	34
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910	

[1]* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा बधाई

पीएसएलवी सी-36 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई 35

सभा पटल पर रखे गए पत्र 37-50

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

9वां प्रतिवेदन 51

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

23वां प्रतिवेदन 51

श्रम संबंधी स्थायी समिति

20वां प्रतिवेदन 52

जल-संसाधन संबंधी स्थायी समिति

11वां तथा 12वां प्रतिवेदन 53

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

87वां प्रतिवेदन 54

कार्य मंत्रणा समिति

37वां प्रतिवेदन 54

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

12 दिसंबर, 2016 को सभा की बैठक रद्द करना 55

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य **56-57**

(एक) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पीयूष गोयल 56

(दो)(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सादियाबाद क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन द्वारा राष्ट्रगान के गायन पर कथित रूप से प्रतिबंध

(ख) गृह मंत्रालय से संबंधित 'तटीय सुरक्षा स्कीम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री किरेन रिजीजू 57

नियम 377 के अधीन मामले **81-99**

(एक) सिविल सेवकों द्वारा संसद सदस्यों के प्रति नवाचार मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज 82

(दो) बिहार के गया शहर में फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी 83

(तीन) झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में पोस्टल डिवीजन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा 84

(चार) मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क और जलाशय परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 85

(पांच) महाराष्ट्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील 86

(छह) झारखंड में तेनुघाट बांध से बोकारो इस्पात संयंत्र तक नहर का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 87

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'अन्न पशु प्रथा' के तहत पशुमालिकों द्वारा त्याग दिए गए मवेशियों से फसलों को बचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 88

(आठ) राजस्थान में उदयपुर के निकट आहड़-बासन संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण तथा इस स्थल को पर्यटन हेतु विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 89

(नौ) उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थापित वन ग्राम (वन टांगिया गांव) को स्थायी भू-पट्टे प्रदान करने और इन्हें राजस्व गांवों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 90

(दस) जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुई क्षति के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया 91

(ग्यारह) राजा रवि वर्मा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स को केरल के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कसारगोड से संबद्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 92

(बारह) कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अग्नि शमन प्रबंधन हेतु पृथक् बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 93

(तेरह) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों विशेषकर एलॉए स्टील प्लांट दुर्गापुर के आधुनिकीकरण हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता 94

(चौदह) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत को फसल बीमा की ईकाई के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रभास कुमार सिंह 95

(पंद्रह) महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शैगांव तहसील में जालम्ब गांव के निकट समपार पर रेल ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव जाधव 96

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री केसिनेनी श्रीनिवास 97

(सत्रह) त्रिपुरा में छह केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र चौधरी 98

(अठारह) केरल के कोट्टायम में हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट के विनिवेश की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 99

सदस्य के अनुचित आचरण की जांच करने हेतु समिति

प्रतिवेदन 100

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2016-17 **103-127**

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2013-14

डॉ. किरीट सोमैया 105-109

श्री बी. विनोद कुमार 110

श्री अभिषेक सिंह 111-114

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 115-117

श्री दुष्यंत चौटाला 117-118

श्री जयदेव गल्ला 118-119

श्री वाई . वी. सुब्बारेड्डी 120-121

श्री आनंदराव अडसुल 121

श्री सुभाष चंद्र बहेरिया 122

श्री वीरेन्द्र सिंह 123

श्री अरुण जेटली 124-125

मांगें-स्वीकृत 126-127

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016 128-130

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 128

विचार करने के लिए प्रस्ताव 129

खंड 2, 3 और 1 129

पारित करने के लिए प्रस्ताव 129-130

विनियोग (संख्यांक. 4) विधेयक, 2016 131-133

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 131

विचार करने के लिए प्रस्ताव 132

खंड 2, 3 और 1 133

पारित करने के लिए प्रस्ताव 133

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 8 दिसंबर, 2016 / 17 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 321 -- श्री पी. कुमार: उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री।

(प्रश्न संख्या 321)

माननीय अध्यक्ष: इस प्रश्न के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 322- श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी।

... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

(इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

(प्रश्न संख्या 322)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने बहुत विस्तृत लिखित उत्तर दिया है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं... (*व्यवधान*)

अन्र्स्ट एंड यंग के नवीकरणीय ऊर्जा आकर्षण सूचक के अनुसार, भारत को विश्व में सौर ऊर्जा विकास में से शीर्ष पाँच में स्थान मिला है। मैं पर्यावरण-अनुकूल सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार की लगन और प्रयासों की सराहना करता हूं... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

(इस समय श्री इदरीस अली, प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (*व्यवधान*)

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित 47.22 मिलियन हेक्टेयर, जो 14.91 प्रतिशत है, को 2005-06 अवधि के दौरान बंजर भूमि के रूप में चिह्नित किया गया है।... (*व्यवधान*)

अधिकांश बंजर भूमि, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता था, सड़कों से जुड़ी नहीं है और कनेक्टिविटी प्रदान नहीं करती है, जिसका अर्थ है कि भारी बुनियादी ढांचा लागत कंपनियों को वहां संयंत्र स्थापित करने से रोकती है... (*व्यवधान*)

महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है और सरकार ने अप्रयुक्त बंजर भूमि क्षेत्रों उपयोगिता बनाए रखने के लिए क्या

उपाय किए हैं ताकि कई उत्साही उद्यमी ऐसे बंजर भूमि क्षेत्रों में सौर उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आएं ?…

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं थोड़ा विलंब से आया था; मैं बाहर ही था। मुझे लगा कि पहला प्रश्न चल रहा है... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बंजर भूमि का उपयोग वास्तव में अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। भूमि सौर कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। हम विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में हैं; और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 34 सौर पार्कों को मंजूरी दे दी गई है। पिछले वर्ष लगभग 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की निविदा निकाली गई थी। (*व्यवधान*) जहां भी संभव हो, हम बंजर भूमि को हासिल करने में मदद के लिए राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। हम सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी भी कृषि भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं… (*व्यवधान*)

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी, जहां भी हमें लवण भूमि, बंजर भूमि,परती भूमि, रेगिस्तानी भूमि मिलेगी , हम उनका आकलन करना जारी रखेंगे... (*व्यवधान*)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी: महोदया, यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। कई बार भूमि की बढ़ती मांग कृषि भूमि और वन भूमि के उपयोग के माध्यम से पूरी की जाती है। (*व्यवधान*)

उदाहरण के लिए, महोदया, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की प्रारंभिक परियोजनाओं के तहत, यह देखा गया है कि राज्य सरकारों ने निजी कंपनियों को सौर, तापीय और फोटोवोल्टिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि प्राप्त करने में मदद की है… (*व्यवधान*)

इसलिए, महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भूमि उपयोग मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और उपजाऊ कृषि भूमि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए राज्य स्तर पर

एक स्वतंत्र और प्रतिनिधि नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है। यह नियामक संस्था अप्रयुक्त क्षेत्र के लाभकारी उपयोग के लिए देश में बंजर भूमि की पहचान करने में भी सरकार को सहायता प्रदान कर सकती है। वह ताप विद्युत हानिकारक है और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्पादक भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए।... (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही उचित मुद्दा उठाया है। ... (*व्यवधान*) यह सरकार बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि उसे बंजर भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ... (*व्यवधान*) देश तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। प्रायः , हम सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्पादक भूमि का उपयोग नहीं करते हैं। ... (*व्यवधान*)

जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं का सवाल है, कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें अतीत में किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है लेकिन राज्य कानूनों के अनुसार पूरा मुआवजा दिया गया है। ... (*व्यवधान*)

जहां तक नियामक की स्थापना का संबंध है , यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। ... (*व्यवधान*) भूमि अधिग्रहण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के पास अपनी मशीनरी है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी। ... (*व्यवधान*)

डॉ. किरीट पी. सोलंकी: हमने 2022 तक कुल ऊर्जा में से सौर ऊर्जा के उपयोग को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ... (*व्यवधान*) मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गांवों और देश के अन्य हिस्सों में सोलर रूफटॉप परियोजनाओं का प्रस्ताव करेगी। ... (*व्यवधान*) मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार अपनी सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त सौर ऊर्जा प्रदान करेगी। ... (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले, मैं रिकॉर्ड को सही करना चाहूंगा। … (*व्यवधान*) भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता एक लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। … (*व्यवधान*) वह ऊर्जा का 58 प्रतिशत नहीं बनता। मोटे तौर पर उस समय यह स्थापित क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत होगा। … (*व्यवधान*) लेकिन जब हम उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा को देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से बहुत कम होगी क्योंकि सौर ऊर्जा में संयंत्र भार गुणक कम है। … (*व्यवधान*)

दूसरा, रूफटॉप सोलर इस एक लाख मेगावाट लक्ष्य का अभिन्न अंग है। … (*व्यवधान*) हमारी योजना है कि इस एक लाख मेगावाट में से 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर से प्राप्त हो । अभी, देश 200 मेगावाट पर है। … (*व्यवधान*) मेरी राय में, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए यह दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य और योजना है। … (*व्यवधान*) सरकार पहले चरण में सरकारी भवनों और सरकारी संस्थानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। … (*व्यवधान*) निजी घरों और बी.पी.एल. घरों की छतों पर भी सौर ऊर्जा इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं, जिसके लिए सरकार आवश्यक सहायता देने पर विचार करेगी। … (*व्यवधान*)

डॉ. कुलमणि सामल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

मैंने माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अध्ययन कर लिया है। … (*व्यवधान*) मंत्री के जवाब में कहा गया है कि ऐसी भूमि का अधिग्रहण एक चुनौती है जहां पर्याप्त सौर ऊर्जा व्याप्त हो । कई स्थान ऐसे होते हैं जहां सूर्य की रोशनी सही तरीके से नहीं पहुँचती । इस बात को समझना बहुत ही आसान है। … (*व्यवधान*) मेरा कहना यह है कि देश में बंजर भूमि बहुत है। क्या मंत्रालय ने, भूमि संसाधन विभाग के परामर्श से, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इन बंजर भूमि का उपयोग करने का कभी प्रयास किया है या करेगा? … (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। ... (*व्यवधान*) सरकार समझती है कि बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि और रेगिस्तानी भूमि, सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ... (*व्यवधान*) हमारे पास ऐसा कोई भूमि प्राधिकरण नहीं है जो इसकी पहचान कर सके। ... (*व्यवधान*) यह भारत के मानचित्र पर उपलब्ध है। (*व्यवधान*) जहां-जहां बंजर भूमि है, उदाहरण के लिए, राजस्थान में बहुत बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है; लेह लद्दाख में बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है; कच्छ के रेगिस्तान में हमारे पास ज़मीन है... (*व्यवधान*) प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने क्षेत्रों का मानचित्रण किया है जो सौर ऊर्जा के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ... (*व्यवधान*) हम राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं और राज्यों के साथ बातचीत और परामर्श से सौर पार्कों के स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा। ... (*व्यवधान*)

श्री थोटा नरसिम्हम: मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदया। ... (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश में पहले से मौजूद सौर पार्कों के अलावा और अधिक सौर पार्क स्थापित करने और मेगावाट क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। ... (*व्यवधान*) आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या पहल की है?... (*व्यवधान*) सौर पीवी (फोटोवोल्टिक) संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति/मंजूरी को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ... (*व्यवधान*) थर्मल पावर कंपनियों के लिए अपने पोर्टफोलियो में नवीकरणीय संसाधनों को जोड़ने के लिए नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आर.जी.ओ.) को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद, महोदया ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देती हूं। यह उचित नहीं है। यह क्या है?

... (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने सौर ऊर्जा पैदा करने में बहुत अच्छा काम किया है।... (*व्यवधान*) 31 मार्च, 2016

तक संचयी क्षमता 572.97 मेगावाट थी।... (*व्यवधान*) पिछले सात महीनों में, वे आंध्र प्रदेश राज्य में 395.08 मेगावाट क्षमता बढ़ाने में सक्षम हुए हैं।... (*व्यवधान*) मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि आंध्र प्रदेश में, हमने कुंटा, अनंतपुर और गैलिवेडु, कडप्पा जिलों में सौर पार्कों को मंजूरी दे दी है, जो 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ... (*व्यवधान*) हम अब सौर पार्कों की मंजूरी के दूसरे चरण पर भी विचार कर रहे हैं और हम जल्द ही इसके लिए आवश्यक योजनाएं लाएंगे। ... (*व्यवधान*) सरकार भारत में सौर पी.वी. उपकरणों के घरेलू उत्पादन को समर्थन देने के उपायों पर भी विचार कर रही है।... (*व्यवधान*)

अंत में, मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आगे बढ़ते हुए, हम सौर ऊर्जा में एक लाख मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 323)

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने पोलावरम प्रोजैक्ट के संबंध में जवाब दिया है,...(व्यवधान) जिसके लिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा संघर्ष कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह बहुत ही संवेदनशील प्रोजैक्ट है, जिसमें बहुत से आदिवासी लोग डूब जायेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम ने आपके माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका स्टेटस बतायें कि वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है।...(व्यवधान) जवाब में स्टेटस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है।...(व्यवधान) प्रोजैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया है।...(व्यवधान) सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया कि कहां-कहां नेशनल प्रोजैक्ट्स हैं और उनसे क्या बेनीफिट मिलने वाला है,...(व्यवधान) लेकिन इस प्रोजैक्ट के बारे में कोई स्टेटस नहीं बताया गया है।...(व्यवधान) वहां पल्ली सभा नहीं हुई है, ग्राम सभा नहीं हुई है, लेकिन हमें जहां तक मालूम है कि वहां प्रोजैक्ट चल रहा है।...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने उत्तर में यह माना है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ग्राम सभा नहीं हुई है, बिना ग्राम सभा के इतने बड़े प्रोजैक्ट को सरकार ने नेशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर कर दिया।...(व्यवधान) वह काम कैसे चल रहा है, यह भी हमें नहीं समझ में आता है।...(व्यवधान) हमारा प्रस्ताव मूलतः यह है कि जब आंध्रप्रदेश के चीफ इंजीनियर मिस्टर पी. हनुमंत राव थे, ...(व्यवधान) तो इतना बड़ा डैम न बना कर, अगर छोटे-छोटे तीन बैराज बनायेंगे, तो उसमें बड़े प्रोजैक्ट बनने से जितना पानी मिलता, जितनी बिजली मिलती, जितना इरिगैशन होता, उससे ज्यादा फायदा होता।...(व्यवधान) बड़ा प्रोजैक्ट बनाने से, बड़ा ऊँचा डैम बनाने में 16,200 करोड़ रूपये खर्च होंगे,...(व्यवधान) लेकिन अगर तीन बैराज बनायेंगे तो वे करीब 9,000 करोड़ रूपये में बन जायेंगे,...(व्यवधान) लगभग आधे खर्च में प्रोजैक्ट पूरा हो जायेगा।...(व्यवधान) इसके साथ ही साथ, बड़ा प्रोजैक्ट बनाने से भविष्य

में अगर भूकंप आ गया, किसी वजह से वह डैमेज हो गया तो उससे करीब 45 लाख लोग प्रभावित होंगे, और अगर रात में यह हुआ तो 45 लाख लोग मर भी जायेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे विकल्प हैं, जिनसे कम खर्च में प्रोजैक्ट पूरा हो जायेगा तो हमें भी उस संबंध में मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। ...(व्यवधान) इससे हमें पता नहीं चलता है कि केन्द्र सरकार की मंशा क्या है।...(व्यवधान) वह क्या करना चाहती है। ...(व्यवधान) महोदया, अगर छोटे-छोटे तीन बैराज बनाएंगे, तो केवल 72 गांवों के डूबने का खतरा है, जबकि ऊंचा डैम बनाएंगे, तो 306 गांव डूब रहे हैं।...(व्यवधान) वहां करीब दो लाख लोग प्रभावित होंगे। मेरा प्रश्न है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बिना 'पल्ली सभा' किए यह प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है। यह देश के कानून के विरुद्ध है।...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्षा जी, वर्ष 2014 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था और अभी इसका काम प्रोग्रैस में है।...(व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश के करीब 221 गांव इससे इफेक्टिड हैं।...(व्यवधान) उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की पब्लिक हियरिंग शुरू नहीं हो पाई है। 2 जून, 2016 को जल संसाधन मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें दोनों प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि जल्द से जल्द पब्लिक हियरिंग शुरू करें।...(व्यवधान) यह प्रोजेक्ट काफी आगे की स्टेज पर जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लम्बित है। वर्ष 1980 में तीनों प्रदेश सरकारें इस पर सहमत हुई थीं, इसलिए इस स्टेज पर इस प्रोजेक्ट को रोकना उचित नहीं होगा। अगर ओडिशा या छत्तीसगढ़ की कोई समस्या है, तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों के साथ है।...(व्यवधान) हमने निवेदन किया है कि ग्राम सभाओं की पब्लिक हियरिंग शुरू की जाए और जो भी समस्याएं हैं, वे केंद्र सरकार को बताई जाएं।...(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदया, हमें यह बात समझ नहीं आई है कि प्रोजैक्ट चल रहा है और बाद में ग्राम सभा की हियरिंग शुरू कर रहे हैं। जब जबरदस्ती केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट चलाना ही है, तो ग्राम सभा की हियरिंग करने का क्या मतलब है। जितने लोगों को जबरदस्ती मारना है, उन्हें डुबो कर मार दीजिए, तीन लाख लोगों

को वहां डुबा दें। सिर्फ औपचारिकता के लिए ग्राम सभा करने की क्या जरूरत है, जब प्रोजेक्ट चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, ग्राम सभा भी करने की बात कह रहे हैं तथा प्रोजेक्ट भी चल रहा है।...(व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमने प्रस्ताव दिया था कि 9 हजार करोड़ रुपयों में छोटे-छोटे बैराज बनाने से ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी। आज के समय में करीब आधा खर्चा बच सकता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार यह विचार करेगी कि तीन बैराज किये जाएं? ...(व्यवधान) इससे ज्यादा पानी मिलेगा और ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी तथा लोग डूबने से बच जाएंगे।...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें आंध्र प्रदेश के करीब 1,88,000 लोग प्रभावित होंगे। चूंकि प्रोजेक्ट काफी लेट स्टेज में पहुंच चुका है, इसलिए इस समय कोई भी चेंज मुमकिन नहीं है।...(व्यवधान) जो भी प्रभावित इलाका है, वह सबरी नदी और उड़ीसा में सिलाओ नदी की वजह से है। बैक वाटर से जो भी प्रोब्लम होगी, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो सी.डब्ल्यू.सी. के सदस्य रहे हैं।...(व्यवधान) उनके द्वारा दो सुझाव दिए गए थे कि या तो दोनों प्रदेशों में एम्बैंकमेंट बनाए जाएं या इफेक्टिड लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए।...(व्यवधान) दोनों सरकारों की तरफ से जो भी सुझाव आएगा, एम्बैंकमेंट बनाने का सुझाव आएगा, तो केंद्र सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर सुझाव आएगा कि कुछ लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार कम्पेंसेशन देने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

श्री विद्युत वरण महतो : महोदया, चांडिल की सुबर्नारेखा बहुद्देश्यीय परियोजना विगत 40 साल से चल रही है।...(व्यवधान) पिछले चार साल में इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया गया है, लेकिन लगभग 84 मौजा को डूबा दिया गया है।...(व्यवधान) वहां न तो विस्थापितों का पुनर्वास किया गया है और न ही दोबारा इन्हें विकास का लाभ दिया गया है और न ही इनमें से किसी को नौकरी मिली है।...(व्यवधान)

इस जलाश्य का पानी झारखंड से होकर उड़ीसा तक जाएगा। यह परियोजना 40 साल होने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी? ...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्ष महोदया, विस्थापितों की मदद करने का पैसा केंद्र सरकार से जाता है, लेकिन विस्थापितों को मुआवजा देने का काम राज्य सरकार द्वारा होता है।...(व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह काम कब तक पूरा होगा, यह बात मैं एकदम अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रदेश सरकार से मुआवजे की जो मांग आएगी, उसे केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए.एस.आर नायक : मुझे पोलावरम परियोजना पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदया। … (*व्यवधान*) यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। पोलावरम परियोजना के निर्माण के बहाने आप जानते हैं कि इस सभा में क्या हो रहा है । … (*व्यवधान*) बिना किसी आदेश के, बिना किसी अनुमति के पोलावरम परियोजना का निर्माण होने जा रहा है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से सात मंडल आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर दिए गए। हम निर्माण के विरुद्ध नहीं हैं । … (*व्यवधान*) लेकिन हम सरकार से परियोजना की क्षमता कम करने का अनुरोध कर रहे हैं। पोलावरम परियोजना की ऊंचाई के कारण भद्राचलम मंदिर, राम मंदिर भी प्रभावित और जलमग्न होने वाले हैं ।… (*व्यवधान*)

मेरा एक प्रश्न और है। ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस पर बड़ी बहस चल रही है। कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, वे पोलावरम परियोजना का निर्माण करना चाहते हैं।… (*व्यवधान*) आदिवासी वहां हैं। आप आदिवासियों के नियति जानते हैं। महोदया, वे तेरहवीं भूमि अधिग्रहण योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं लेकिन सरकार नहीं दे रही है। (*व्यवधान*) इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारी बात पर विचार करें और पोलावरम परियोजना की ऊंचाई को कम करें। मेरा उनसे

यह भी अनुरोध है कि वे सरकार के आदेशों और न्यायालय के आदेशों पर भी विचार करें। धन्यवाद, महोदया। … (*व्यवधान*) नहीं, मैं पूछ रहा हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि टैम्पल टाउन ऑफ भद्राचलम सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान) इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लीयरेंस 25.10.2005 को प्राप्त हो चुकी है।...(व्यवधान) इस प्रोजेक्ट के लिए सभी चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 324, श्री धनंजय महाडीक - उपस्थित नहीं

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत।

(प्रश्न संख्या 324)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के धन का उपयोग करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मनसुख एल. मांडविया : अध्यक्ष महोदया, आज नेशनल हाईवेज़ की हमारी जो स्थिति है, इसको बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) देश में आज तक कुल-मिलाकर 1 लाख 3 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ हैं।...(व्यवधान) हम लोग 1 लाख किलोमीटर हाईवेज़ और बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 8 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है।...(व्यवधान) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम पीपीपी मॉडल अपना रहे हैं। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हम बीओटी, बीओटी-एनयूटी, बीओटी हाइरब्रिड और टीओटी जैसे चार मॉडल लेकर आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए जो नेशनल हाईवे ईपीसी मॉडल के तहत बने हुए हैं उनको टीओटी में कनवर्ट करने के लिए हमने एक योजना बनायी है।...(व्यवधान) इस योजना के तहत हम लोग आगे काम करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: महोदया, मैं माननीय मंत्री से उन परिचालन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्योरा जानना चाहूंगी जो सरकारी निधि के तहत पूरी की गई हैं और जिनकी महाराष्ट्र में टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल का उपयोग करके संभावित मुद्रीकरण के लिए पहचान की गई है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मनसुख एल.मांडविया : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, उन योजनाओं को हम टीओटी के माध्यम से लेने जा रहे हैं।...(व्यवधान) महाराष्ट्र के भी दो नेशनल हाईवेज़ इसमें हैं, जो ईपीसी मॉडल से बने हुए हैं, उनको हम भविष्य में टीओटी मॉडल से ले सकेंगे।...(व्यवधान)

श्री मानशंकर निनामा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान सड़कों और राजमार्गों में ब्राउन फिल्ड परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में पर्यटन की असीम पर्यटन सम्भावनाओं की दृष्टि से नयी ब्राउन फिल्ड परियोजना को वित्तपोषित करने हेतु क्या कोई विशेष कार्ययोजना बनायी गयी है?...(व्यवधान) क्या इसके लिए निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा सहायता ली जा रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में नेशनल हाईवेज़ की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो योजना बनायी है, उसमें ब्राउन फिल्ड एनयूटी योजना भी शामिल है।...(व्यवधान) यह योजना न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के लिए बनायी गयी है, जिसमें 40 परसेंट गवर्नमेंट की इक्विटी रहेगी।...(व्यवधान) इसमें कन्सैश्नर को बैंक से फण्ड लेकर सड़क का निर्माण करना है।...(व्यवधान) हमने यह योजना सारे देश के लिए बनाई है। ...(व्यवधान) यह केवल राजस्थान के लिए ही नहीं है, पूरे देश के संदर्भ में इसलिए है कि ऐसे हमें हाइरब्रिड एन्युटी के पास जाने से फायदा होगा। ...(व्यवधान) एक तो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी देखभाल भी हो पाएगी और सरकार को जो अपनी इक्विटी लगानी है, वह भी कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा रास्ता बनाने के लिए जो हमने पीपीपी मॉडल बनाया, उसके तहत देश में आज तय करते हैं और उसमें बिड भी करते हैं। ...(व्यवधान) कितने ही रास्ते ऐसे होते हैं, डिन्गें हम बीओटी से निर्माण करते हैं, कितने रास्ते ऐसे होते हैं,

जिन्हें बीओटी एन्युटि से करने के लिए डिसाइड करते हैं। ...(व्यवधान) कितने रास्ते ऐसे हैं, जो ज्यादातर कोस्टल क्षेत्र में है, जहां शायद ट्रैफिक कम हो, वैसी स्थिति में इन्वेस्ट करने लिए शायद कोई कंसेशनर आगे न आए, वैसी स्थिति हम 40 परसेंट सरकार की इक्विटी से हाइब्रिड एन्युटी से रास्ते का निर्माण करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश के हाईवेज़ बनाने के लिए साढ़े आठ लाख करोड़ रूपये की आज भी जरूरत है। ...(व्यवधान) परंतु हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है, जहां टू लेन हाईवे को फोर लेन और फोर लेन हाइवे को जब सिक्स लेन करते हैं, तब टोल लगाया जाता है। ...(व्यवधान) दुनिया भर के देशों में नई सड़क के निर्माण के लिए टोल लगाया जाता है, परंतु हमारे देश में यह क्यों है कि जो एग्ज़िस्टिंग सड़के हैं, उनको कारपेट कर के नैशनल हाईवे का नाम दे दिया जाता है और उस पर टोल कलैक्शन का काम सरकार करती है? ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी इस बारे में देश को बताने काम करें। ...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, नैशनल हाईवेज का मतलब यह होता है कि जिसकी देखभाल स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अलावा नैशनल हाईवे अथॉरिटी भी करेगी। ...(व्यवधान) उसको चौड़ा करना है, लंबा करना है, ये सभी काम नैशनल हाईवे अथोरिटी करेंगे। ...(व्यवधान) माननीय सदस्यश्री ने बताया है कि पूर्व प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने यह बात अच्छी कही थी कि रास्ता है तो गति है और गति है तो प्रगति है। ...(व्यवधान) किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो यह आवश्यक है कि रास्ते का निर्माण करे। ...(व्यवधान) हमें विरासत में 92 हज़ार किलोमीटर रास्ता मिला था, हमारी सरकार ने एक लाख किलोमीटर नैशन हाईवे निर्माण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यश्री को यह बताना चाहता हूँ कि इतने पैसे की आवश्यकता होती है। इस पैसे की व्यवस्था हम कहां से करेंगे, ...(व्यवधान) हम ई.पी.सी. मोड (ई.पी.सी. का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन), बी.ओ.टी. मोड (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर), पी.पी.पी. मॉडल से पैसे की व्यवस्था करेंगे और रास्ते का निर्माण करेंगे। ...(व्यवधान) इसलिए देश में एक लाख

किलोमीटर रास्ते का निर्माण करने के लिए हमने योजना बनाई है और योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान) उसके लिए हमने पीपीपी मॉडल को अपनाया है। ...(व्यवधान)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बीओटी के माध्यम से कितने प्रोजेक्ट्स गुजरात में अभी फाइनल किए गए हैं? ...(व्यवधान) उनमें से कितने प्रोजेक्ट चालू किए हैं? ...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि बीओटी एक नई योजना है और जो 75 नैशनल हाईवेज़ हैं, उनको हम उसमें लेने वाले हैं। ...(व्यवधान) उसमें गुजरात में हमने बामनबोर-सामख्याली, बामनबोर-गारामोर, पालनपुर-कांबा और आबूरोड और पोरबंदर-भिलाड़ी, भिलाड़ी-जैतपुर, ये कुल मिला कर पांच रोड हम बीओटी मोड में ले लेंगे और उसके लिए टोल बेस्ड ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चर्चा करना हो तो चर्चा कर सकते हो, मगर पूरे हाऊस को डिस्टर्ब मत करो।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा में व्यवधान न डालें ।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 325 - श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी।

(प्रश्न संख्या 325)

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (*व्यवधान*) मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन पर देश की निर्भरता कम करने के मद्देनजर सरकार ने कोयले के आयात को कम करने के किसी उपाय पर विचार किया है। ... (*व्यवधान*) यदि हां, तो ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक साधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा दें।... (*व्यवधान*)

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने देश में तापीय ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि हां, तो माननीय मंत्री कृपया इसका ब्यौरा प्रदान करें। ... (*व्यवधान*)

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या एक राज्य में उत्पादित अधिशेष ताप विद्युत को बिजली की कमी झेल रहे राज्यों में विशेषरूप से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानांतरित करने के लिए कोई समझौता है, । यदि हां, तो माननीय मंत्री कृपया तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें। और यदि नहीं, तो माननीय मंत्री कृपया इसका कारण बताएं। ... (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही मिश्रित प्रश्न है, लेकिन यह इस विषय पर माननीय सदस्य की चिंता को दर्शाता है। ... (*व्यवधान*)

महोदया, मुझे आपके माध्यम से सम्मानीय सभा को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस सरकार का मानना है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षित बनाना होगा। हमें कोयले की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और इस दिशा में हमने भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ाया है। हम पिछले दो वर्षों में कोयले के आयात में उल्लेखनीय कमी लाने में सफल रहे हैं। ... (*व्यवधान*) आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2014-15 में घरेलू ताप विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले में से 48.5 मिलियन टन कोयले का उपयोग हुआ जिसे कम करके हम 2015-16 में 37.1 मिलियन टन और 2016-17 से अक्टूबर तक मात्र 13.2 मिलियन टन तक

लाने में सक्षम हुए हैं। . … (*व्यवधान*) यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोयले के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहां तक कि ये 13.2 मिलियन टन बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है। उसमें से नौ मिलियन टन से अधिक का आयात निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है जबकि भारत में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वे आयात बंद करें और घरेलू कोयला लें। … (*व्यवधान*)

जहां तक उत्पादन बढ़ाने के उपाय का संबंध है, वे सभी बहुत अच्छी तरह से ज्ञात और परिभाषित हैं। कोयला खदानों की नीलामी जिस ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हुई दुर्भाग्य से, विपक्ष के सदस्य, उसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि कोल इंडिया लिमिटेड पहले वर्ष में लगभग सात फीसदी और दूसरे साल में 8.6 फीसदी उत्पादन बढ़ाने में सफल रही। … (*व्यवधान*) उनके समय में कोयले की आपूर्ति हमेशा कम रहती थी और विकास दर महज एक, दो या तीन प्रतिशत थी। दुख की बात है कि दशकों तक भारत ऊर्जा और कोयले की अपर्याप्तता वाला देश बना रहा । निरंतर और ईमानदार प्रयासों से ही स्थिति बिजली अधिशेष और कोयला अधिशेष में बदल गई है । … (*व्यवधान*)

जहां तक पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति का संबंध है, मुझे माननीय सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपदाओं के दौरान, हम आवंटित पूल से केंद्रीय क्षेत्र से विशेष आवंटन करते हैं। … *(व्यवधान*) इसके अलावा, आज देश में बिजली सरप्लस में है। विद्युत प्रवाह ऐप पर आप किसी भी समय देख सकते हैं कि ग्रिड में कितनी बिजली उपलब्ध है जिसे पूरे देश में आसानी से पारेषित किया जा सकता है। अतः , अब भारत का कोई भी हिस्सा बिजली से वंचित नहीं रहेगा। … (*व्यवधान*)

धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मैंने अभी माननीय मंत्री का उत्तर सुना है जिसमें उन्होंने सभी गैर-सत्तारूढ़ दलों को विपक्ष की श्रेणी में रखा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम किसी भी कोयला घोटाले में शामिल नहीं थे। इसलिए, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए।… (*व्यवधान*)

दूसरा, कोयला उत्पादन में वृद्धि में मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ओडिशा में, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र तालचेर में, जहां मंत्री स्वयं कई बार दौरा कर चुके हैं, कई गांवों को बिना किसी उचित सूचना के उजाड़ा जा रहा है। पुराने गांवों में, जहां लोग पहले विस्थापित हुए थे, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा नौकरियों की पेशकश नहीं की गई है और आज, उन्हें अन्य पंचायतों में स्थानांतरित किया जा रहा है जहां सामाजिक टकराव है। एम.सी.एल., मंत्रालय सुध नहीं ले रहा है। अत: अमानवीय होकर केवल उचित कोयला उत्पादन सुनिश्चित करना और लोगों की देखभाल न करना विकास नहीं है। विकास लोगों के लिए होना चाहिए न कि कंपनियों के लिए। यही विचार है। … (*व्यवधान*)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे और राज्य सरकार और एम.सी.एल. को उन लोगों की देखभाल करने का निर्देश देंगे जो आज विस्थापित हो रहे हैं। महोदया, आज उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। … (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने सभी विपक्षी दलों एक ही श्रेणी में नहीं रखा है; और मेरा इशारा सिर्फ उन पार्टियों की तरफ था जो मोदी सरकार आने से पहले सत्ता में थीं। ... (*व्यवधान*)

जहां तक तालचर का संबंध है, महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और इस सम्मानीय सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह सरकार गरीबों, ग्रामीण भारत में समाज के वंचित वर्गों के हितों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जिन्हें कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमि या अपनी सामान्य आजीविका छोड़नी पड़ती है। उनकी भलाई और उनके उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जाता है। जिस भी गांव को जमीन छोड़नी पड़ती है, वह राज्य सरकार से परामर्श करता है। उस पर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन लेता है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैं दोहराता हूं, कोयला खनन के लिए किसी भी गांव को मनमाने ढंग से नहीं ले सकता। फिर भी यदि ऐसे कोई मामले हैं तो मैं उनकी जांच कराऊंगा। … (*व्यवधान*)

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात जो उन्होंने उठाई वह नौकरियों के संबंध में है। नौकरियों के लिए निर्धारित मानदंड है। जिस भी ग्रामीण की दो एकड़ जमीन अधिग्रहण में जाती है, उसे कंपनी में उसके अनुरूप नौकरी प्रदान की जाती है। लेकिन अक्सर यह संभव नहीं होता है कि एक ही गांव के सभी लोगों को एक ही खदान में, जहां वह गांव स्थित है, समायोजित किया जा सके। इसलिए, थोड़ा-बहुत स्थानांतरण व्यवसाय का स्वाभाविक हिस्सा है। कोल इंडिया एक इकाई है। इसकी कई सहायक कंपनियाँ हैं। हम लोगों को सहायक कंपनी में ही रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वह उनकी पसंद की किसी कंपनी में ही रहें। … (*व्यवधान*)

मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) की शुरुआत की है। यह एक क्रांतिकारी कदम रहा है जहां रॉयल्टी का 30 प्रतिशत सीधे स्थानीय जिला प्रशासन को दिया जाता है, और डी.एम.एफ. का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय क्षेत्र में कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। … (*व्यवधान*)

अंततः, जब कोयले का उत्पादन बढ़ता है, तो राज्य को ही कुल रॉयल्टी और नीलामी से प्राप्त धन मिलता है। उसमें से एक रुपया भी केंद्र अपने पास नहीं रखता। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप पीछे के सदस्यों को शैडो करने की कोशिश करते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। वे भी उतने ही जन प्रतिनिधि हैं जितने आप हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि कृपया ऐसा मत करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[3]*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910)

[3]* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

पीएसएलवी सी-36 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण , 7 दिसंबर, 2016 को हमारे देश ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह 'रिसोर्सेट -2ए' वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी सी-36) का सफल प्रक्षेपण किया।

इसके साथ, हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष प्रयासों के क्षेत्र में अपनी दक्षता और क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमें अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देती है और उनके भावी प्रयासों में भी सफलता की कामना भी करती है।

———————

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, कोडिकुन्नील सुरेश, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, डॉ. ए. संपत, सर्वश्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जीतेंद्र चौधरी, जय प्रकाश नारायण यादव, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री पी. करुणाकरण, मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, एन.के. प्रेमचंद्रन, सुदीप बंद्योपाध्याय और पी.के. बीजू से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

हालांकि, ये मामले महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, पत्र रखे जाने हैं। श्रीमती स्मृति इरानी।

... (*व्यवधान*)

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं: --

(1) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी. 5752/16/16]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5753/16/16]

(3) (एक) सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5754/16/16]

... (*व्यवधान*)

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5755/16/16]

(ख) (एक) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5756/16/16]

(ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5757/16/16]

(2) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 205-206 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5758/16/16]

(3) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5759/16/16]

... (*व्यवधान*)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5760/16/16]

(2) (एक) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(दो) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5761/16/16]

(तीन) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 की वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5762/16/16]

(3) (एक) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5763/16/16]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) कमराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कमराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5764/16/16]

(6) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5765/16/16]

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1051(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 206 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 1052(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5766/16/16]

(8) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का.आ. 2590(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5767/16/16]

(10) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) संशोधन नियम, 2016 जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5768/16/16]

(11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) का०आ० 2333(अ) 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का०आ० 2334(अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का०आ० 2365(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71ख, 248क और 334ख के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 2366(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 2573(अ) जो 1 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 2792(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 2811(अ) जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 2946(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 223 के विभिन्न खण्डों को नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है।

(नौ) का॰आ॰ 2947(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 2948(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का०आ० 2949(अ) 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20, 21क, 95, 503क और 88 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बारह) का०आ० 3013(अ) 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तेरह) का०आ० 3211(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का०आ० 3212(अ) 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पंद्रह) का०आ० 3213(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का०आ० 3214(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ड़ के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सत्रह) का०आ० 3334(अ) जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 3335(अ) जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 209 (नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 948) के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5769/16/16]

... (*व्यवधान*)

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी , देखिए संख्या एल.टी. 5770/16/16]

(2) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5771/16/16]

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 24 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 8 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 977(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5772/16/16]

... (*व्यवधान*)

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदया, श्री अजय टम्टा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:--

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 3095(अ) जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं०का०आ० 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी , देखिए संख्या एल.टी. 5773/16/16]

(2) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी , देखिए संख्या एल.टी. 5774/16/16]

(3) (एक) वूल एंड वूलन्स एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एंड वूलन्स एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी , देखिए संख्या एल.टी. 5775/16/16]

(4) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5776/16/16]

(5) (एक) सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी. 5777/16/16]

(6) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी. 5778/16/16]

... (*व्यवधान*)

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूं:--

(एक) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत गेहूं के आयात शुल्क को बिना किसी अंतिम तारीख के निर्धारण तथा तत्काल प्रभाव से कम करके 10 प्रतिशत से शून्य करने के उद्देश्य से दिनांक 17.03.2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क का और संशोधन करने के आशय वाले एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 60/2016-सीमा शुल्क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर जो 20.06.2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड अथवा अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से किये गये किसी एकल लेन-देन संव्यवहार में दो हजार की धनराशि तक बन्दोबस्त के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा सेवाओं से छूट देने के लिए 8 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 52/2016 -सेवा कर में के संशोध्नार्थ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5778क/16/16]

———————

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति</u>

9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2016-2017) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.05 ½ बजे</u>

[अनुवाद]

<u>रक्षा मामलों संबंधी स्थायी समिति</u>

23वां प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त] (गढ़वाल): मैं 'आम चुनावों में रक्षा सेवाओं के कार्मिकों द्वारा परोक्षी तथा डाक के माध्यम से मतदान-एक मूल्यांकन' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)' प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 ¾ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

20वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मैं 'श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

जल-संसाधन संबंधी स्थायी समिति

11वां और 12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हुकुम सिंह (कैराना): मैं जल-संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) की निम्नलिखित रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(एक) भू-जल परिदृश्य की समीक्षा (एक) डार्क ब्लाक, और (दो) कतिपय उद्योगों द्वारा भू-जल का संदूषण के विशेष संदर्भ में देश में समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक नीति और उपाय की आवश्यकता' विषय पर 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 11 वां प्रतिवेदन।

(दो) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 ½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

87वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): मैं 'उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरे जाने में अत्यधिक विलंब' विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 87वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। '

अपराह्न 12.06 ¾ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

37वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

12 दिसंबर, 2016 को सभा की बैठक रद्द करना

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि बुधवार, 7 दिसम्बर, 2016 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने सोमवार, 12 दिसम्बर, 2016 को निर्धारित सभा की बैठक, भारत के कुछ भागों में मनाए जा रहे मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन) के कारण रद्द करने के लिए अनुरोध किया था। कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की कि सोमवार, 12 दिसम्बर, 2016 के लिए सभा की निर्धारित बैठक मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन) के कारण रद्द की जाए।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : छुट्टी के लिए सब तैयार हैं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक)कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4*] [अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[4*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5779/16/16।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो)(क) इलाहाबाद के सादियाबाद क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन द्वारा राष्ट्रगान के गायन पर कथित रूप से प्रतिबंध [5*]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के सदियाबाद इलाके में एक निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा राष्ट्रगान गाने पर कथित प्रतिबंध के संबंध में एक वक्तव्य रखता हूं।

(ख) गृह मंत्रालय से संबंधित 'तटीय सुरक्षा स्कीम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'तटीय सुरक्षा स्कीम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

[5*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 5780/16/16 और 5781/16/16।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल शुरू करने से पहले मैं एक ही ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं। मैं दो-तीन दिन से इसको देख रही हूं। हाउस तो आप अपना आधिकार मानकर डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, लेकिन जब कोई सदस्य बोलता है, उस सदस्य का भी उतना ही आधिकार है, वह भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। इसलिए किसी सदस्य के सामने आकर उसको डिस्टर्ब करना, यह कदापि उचित नहीं है। यह यहां पर हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आगे आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ताकि हमें कोई कड़ा कदम नहीं उठाना पड़े।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब 'शून्य काल'।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब बात तभी होगी, जब आप चर्चा के लिए तैयार होंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं? तभी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी, अन्यथा नहीं।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

(इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

[6*]**श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) :** अध्यक्ष महोदया मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पिछली 8 नवंबर को जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया, उसका सभी स्तर से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और मजदूरों ने भी खुलकर स्वागत किया। आज सभी किसानों के 80-90 प्रतिशत बैंक खाते और ऋण खाते सहकारी बैंकों में ही है और इन सहकारी बैंकों, पत संस्थाओं को इस नोटबंदी की योजना में शामिल नहीं किया गया है। उनको रिजर्व बैंक से नए नोट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे है या वो नहीं दे पा रहे हैं।

इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसान और सभी खेतीहर मजदूर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा जो पैसे आवंटित किए जाते हैं वो सभी को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि 40-50 गाँवों के लिए एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा होती है। उसमें भी हर हफ्ते किसानों को 2000 से 3000 रूपये ही मिल पाते हैं इससे ये किसान उनके यहां काम कर रहे मजदूरों को दैनिक मजदूरी नहीं दे पाते हैं। मजदूरी नहीं मिलने से कई गरीब मजदूरों को भूखे मरने की नौबत आई है।

[6*]मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

मेरी मांग है कि इन सहकारी बैंकों और संस्थाओं को आविलंब पैसा उपलब्ध कराया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन सुचारू रूप से चल सके।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने बारंबार किसानों के लिए ऋण माफी किए जाने की मांग की है। अगर केन्द्र सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती तो कम से कम किसानों को फसल ऋण चुकाने के लिए इन पुराने 500-1000 रूपए के नोटों को जमा कराने की छूट दी जाए। इससे किसान अपना कर्ज भी चुका सकेगा और इन सहकारी बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) में भी भारी कमी आ सकेगी।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में गहरी पैठ बना चुके इन सहकारी बैंकों और पत संस्थाओं (क्रेडिट सोसाईटी) को तत्काल धन मुहैया कराया जाए जिससे आने वाले समय में इस निर्णय का खामियाजा केन्द्र सरकार को ना भुगतना पड़े इस बात को ध्यान में रखा जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री संजय धोत्रे, श्री धनंजय महाडीक, श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल शेवाले, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में गीता जयंती के 5053 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। हरियाणा प्रदेश में गीता जयंती का यह 5053 वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ...(व्यवधान) गीता जयंती समारोह में काशी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, आदि जैसे अनेक स्थानों पर विश्व के

कोने-कोने से श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं। कुरूक्षेत्र गीताज्ञान के लिए विश्वप्रसिद्ध है, जहां 5053 वर्ष पहले भगवान श्रीकृष्ण ने गीता उपदेश दिया था।

मैं मांग करता हूं कि कुरूक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केन्द्र बनाने में भारत सरकार कदम उठाए और प्रसाद योजना में भी इसको शामिल किया जाए। ...(व्यवधान) आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी इसमें कार्यक्रम बना था और भी कई केन्द्रीय मंत्री वहां जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुरूक्षेत्र को ऐतिहासिक स्थान दिलाने में मदद करें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रकाश ब. हुक्केरी (चिक्कोडी) - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, विशेष श्रेणी दर्जे के विकल्प के रूप में, केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2016 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। . ... (*व्यवधान*) विशेष वित्तीय पैकेज में अन्य बातों के *साथ-साथ* कहा गया है कि पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण, कर रियायतें और विशेष सहायता आदि होगी... (*व्यवधान*)

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने ऐसे विशेष वित्त पैकेज की घोषणा करते हुए कहा है कि विशेष सहायता उपायों को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसमर्थित जाएगा। राज्य को त्वरित मूल्यह्रास और निवेश भत्ते के लिए दो कर रियायतें भी मिलेंगी, जिनका विवरण शीघ्र ही सी.बी.डी.टी. द्वारा अधिसूचित किया

जाएगा। … (*व्यवधान*) आंध्र प्रदेश राज्य में रेलवे जोन मुद्दा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसे कई अन्य मुद्दे भी विचाराधीन हैं। तथापि, विशेष वित्त पैकेज की घोषणा के तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है। … (*व्यवधान*)

आंध्र प्रदेश राज्य गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। विशाखापत्तनम में एक नए रेलवे जोन की स्थापना, एक आदिवासी विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत, नेल्लोर जिले के दुर्गाराजपट्टनम में एक प्रमुख बंदरगाह और कडप्पा जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्र और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किए गए वादे के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पाई है। . … (*व्यवधान*) मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए द्वारा घोषित विशेष पैकेज बिना किसी विलंब के विधायी रूप से अनिवार्य बनाया जाए ।

मैं केंद्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में दिए गए सभी आश्वासनों को अक्षरश: पूरा करने का भी आग्रह करूंगा। … (*व्यवधान*)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिहार के करोड़ों किसानों का सरकारी दर पर धान पर नहीं खरीदे जाने से हो रही व्यथा की ओर दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे अपनी बात पूरी करने का अवसर प्रदान करें। ...(व्यवधान)

बिहार में पिछले कई वर्षों से किसान अकाल और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हैं। इस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई है। पिछले कई वर्षों से सरकारी दर पर धान खरीदा नहीं जा रहा है। ...(व्यवधान) इस वर्ष की भी यही स्थिति है। 15 नवंबर से सरकारी दर पर धान की खरीद होनी थी लेकिन अभी तक राज्य सरकार की आनिच्छा और अरुचि के कारण धान की खरीद जीरो प्रतिशत हुई है यानी अभी तक कोई खरीद

नहीं हुई है क्योंकि व्यवस्था को बहुत टेढ़ा बनाया गया है।। ...(व्यवधान) किसानों से कहा गया कि ऑनलाइन एप्लाई करें, इस कारण किसान धान बेच नहीं पा रहे हैं। किसान लाचार होकर कम दाम और उधार पर धान बेचने को मजबूर है और इस कारण बिचौलिए हावी हो रहे हैं।...(व्यवधान)

यह विषय राज्य सरकार का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले और राज्य सरकार को एडवाइजरी दे ताकि कम से कम इस वर्ष अकाल की मार झेल चुके किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि उनको कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाए ताकि उनका कुछ कम्पेनसेशन हो सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशकान्त दुबे, श्री सी.पी. जोशी, को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 21 वर्षों से केंद्र सरकार के पास मुम्बई उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तन करने का विषय लंबित है, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान) बॉम्बे हाई कोर्ट की जगह पर मुम्बई उच्च न्यायालय नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्ष पहले केंद्र सरकार के पास भेज दिया था।...(व्यवधान) हम सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद यह विषय कैबिनेट में भी आया था। पिछले सत्र में क्रमांक 171 के अनुसार विधेयक भी आया, लेकिन दुर्भाग्य से लोक सभा में यह विधेयक पेश नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम परिवर्तित कर मुम्बई हाई कोर्ट किए जाने का विधेयक जल्दी से जल्दी सदन में लाने की कोशिश करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी, श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल शेवाले, श्री प्रतापराव जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और श्रीमती भावना गवली को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामेश्वर तेली।

... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं असम के डिब्रूगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। ...(व्यवधान) मैं अपनी मातृभाषा असमिया में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

[7*]असम का डिब्रूगढ़ उत्तर-पूर्व भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। यह अपने तेल उद्योगों और हरे-भरे चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय आदि जैसे कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी डिब्रूगढ़ में स्थित हैं। डिब्रूगढ़ और उसके पड़ोसी स्थानों जैसे ईटानगर, कोहिमा आदि से हर दिन सैकड़ों यात्री विभिन्न प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली की यात्रा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस रूट पर कोई बड़ा विमान नहीं चलता। वर्तमान में एयर इंडिया सहित केवल कुछ विमान कंपनियां ही छोटे विमानों का उपयोग करके विमान सेवा उपलब्ध करती हैं जो अधिक यात्रियों को समायोजित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में,

[7*]मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

डिब्रूगढ़-नई दिल्ली और नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ मार्ग के बीच चलने वाले छोटे विमान लगातार बढ़ती यात्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, मैं माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया डिब्रूगढ़-नई दिल्ली और नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ मार्ग पर जंबो जेट विमान सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि इस मार्ग पर अधिक यात्रियों को समायोजित किया जा सके।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी.जोशी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रामेश्वर तेली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ...(व्यवधान)

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त, 2005 में आशा बहुओं की नियुक्ति ग्रामीण अंचलों के ग्राम पंचायतों में सेवा प्रदान करने के लिए की गयी थी। ...(व्यवधान)

महोदया, आशा कार्यकर्ताओं की कार्य ड्यूटी चौबीस घंटे की रहती है। ...(व्यवधान) इनका मुख्य कार्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की होती है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। ...(व्यवधान) वे समय-समय पर राजकीय कार्यों में भी सहयोग प्रदान करना होता है। ...(व्यवधान)

महोदया, आशा बहु वेल्फेयर एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा मुझसे मांग की गयी थी कि मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी के सामने यह मांग रखूं कि उन्हें राजकर्मी घोषित करते हुए उनका मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाये। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए मांग करना चाहता हूं कि गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड आदि प्रदेशों में उन्हें मानदेय केवल छः हजार रुपया ही दिया जा रहा है। देश-प्रदेश में एक समान मानदेय दिया जाये, ऐसी मेरी सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती वीणा देवी, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत और श्री शरद त्रिपाठी को डॉ. अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बांदा एवं चित्रकूट में, विशेषकर चित्रकूट जनपद में ग्रामीणों और विशेषकर किसानों पर फर्जी ढंग से गुंडा एक्ट लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ...(व्यवधान) पूर्व में चुनाव के समय जिस तरह से धारा 107-117 में लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जाता था, आज उस तरह से हर गांव में दर्जनों लोगों और किसी-किसी गांव में पचासों लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ...(व्यवधान) इससे ग्रामीणों एवं छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। ...(व्यवधान) जिन पर एक आध भी मुकदमे नहीं मिलते, उन पर नये फर्जी मुकदमे लगाकर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। ...(व्यवधान) स्थानीय प्रशासन राज्य सत्ता पार्टी के नेताओं के इशारे पर विरोधियों पर भय बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ...(व्यवधान) सैंकड़ों लोगों को जिलाबदर कर दिया गया है। ...(व्यवधान) लोग बहुत ही परेशान हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से वार्ता करके, दबाव बनाकर ऐसे फर्जी मुकदमों की समीक्षा की जाये। ...(व्यवधान) ऐसे फर्जी गुंडा एक्ट की समीक्षा करके उसे खत्म किया जाये और भविष्य में ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज।

... (व्यवधान)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, भारत विश्व में एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। ...(व्यवधान) अगर हम इस कृषि प्रधान देश की हालत व्यापक रूप में देखें, तो जिस तरह से लोक संख्या बढ़ रही है, उस तरह से किसानों की खेती की जमीन धीरे-धीरे कम हो रही है। ...(व्यवधान) शहरों के अंदर जिस मात्रा में सब्जियां चाहिए, उस मात्रा में सब्जियां उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में, वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी शोध हुई है, जिसके माध्यम से दीवारों एवं छतों पर ऐसी खेती हो सकती है। इसके कई सफल प्रयोग भी हुए हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय पर शोध हो कि कैसे शहरों में वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे शहरों की खपत पूरी हो पाए।

मैं आपके माध्यम से यही आग्रह माननीय कृषि मंत्री जी से करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी एवं डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री महेश गिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): महोदया, मैं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के तंबाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत करना चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

प्रकाशम और आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार तीसरे साल भी बारिश के देवता तंबाकू किसानों पर कृपा नहीं बरसा रहे हैं। … (*व्यवधान*) इसके साथ ही, राज्य और केंद्र सरकारों से कम समर्थन मिलने के कारण, यह प्रकाशम जिले के तंबाकू किसानों को आत्महत्या के कगार पर धकेल रहा है।

प्रकाशम जिला देश में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारत सरकार के लिए करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।… (*व्यवधान*) यह गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और तंबाकू की फसल सूख रही है। यह पिछले तीन वर्षों में एक नियमित घटना बन गई है और किसान केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। … (*व्यवधान*)

वर्तमान संकट से बाहर आने के लिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि तम्बाकू किसानों को 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए जिससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। … (*व्यवधान*)

दूसरा, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी 70 प्रतिशत फ़सल सूखे के कारण नष्ट हो गई है। यहां तक कि अगर उन्हें 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलता है तो उन्हें वस्तुतः कुछ भी नहीं मिलता है। … (*व्यवधान*) ऐसे मामलों में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें तंबाकू बोर्ड के माध्यम से सूखा राहत के तहत मुआवजा दिया जाए, जिससे उन्हें अपनी अगली फ़सल बोने में मदद मिलेगी।… (*व्यवधान*)

तीसरा, तम्बाकू किसानों के बचाव के लिए वैकल्पिक फ़सल/उपायों का पता लगाने के लिए केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान को भी शामिल किया जाना चाहिए।… (*व्यवधान*)

अंत में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत हस्तक्षेप करें और प्रकाशम जिले के तंबाकू किसानों को बचाएं, अन्यथा मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे आत्महत्या भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ साल पहले किया था, जो राज्य और देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्रालय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जबलपुर से लेकर जयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 जाता है। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण एवं टेंडर की प्रोसेस का सही तरीके से पालन न होने के कारण यह पूरा मार्ग जर्जर हो गया है। अब हमारी सरकार ने छोटे-छोटे पैकेजेज के माध्यम से दुबारा उनके टेंडर शुरू किए हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण में देरी की जा रही है और मेंटिनेंस का कार्य भी नहीं हो रहा है। बारी, बरेली, उदयपुरा, तेंदूखेड़ा से होते हुए मेरे गांव तक पूरा राजमार्ग इतनी बुरी हालत में है कि उस पर चलना दूभर हो रहा है। आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं और मौतें होती हैं। पूरे मध्य प्रदेश में राजकीय मार्ग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 की हालत बहुत खराब है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12, जो जबलपुर से जयपुर तक जाता है, जो हाईकोर्ट को राजधानी से जोड़ने का काम करता है, जो जबलपुर को भोपाल से जोड़ता है, उस मार्ग की तुरंत मेंटिनेंस कराई जाए, उसे मोटरेबल बनाया जाए, जिससे लोग उस पर चल सकें और शीघ्र ही ठेकेदार नया निर्माण भी शुरू करें। ऐसी आपके माध्यम से मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अध्यक्षा जी, कृपया मुझे यहीं से बोलने की अनुमति दीजिए।

माननीय अध्यक्षा जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया में गंगा के कटान से दर्जनों गांव गंगा में विलीन होने के कगार पर हैं। हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक गांव शेरपुर है। उसके साथ सेमरा करीब-

करीब कट गया है। सेमरा ही नहीं, जगदीशपुर, भुसौला, गररिया, नर्दरा, श्रीनगर आदि गांव भी गंगा की कटान से खत्म होने की कगार पर हैं।

अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शेरपुर-सेमरा गांव एवं अन्य तमाम गांवों, जिनका मैंने उल्लेख किया है, को बचाने के लिए अगर तत्काल उपाय नहीं किया गया तो ये गांव गंगा में विलीन हो जाएंगे। साथ ही, इन गांवों के कटान से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिमॉनेटाइजेशन, नोटबंदी की जो योजना घोषित की है, मैं उसका स्वागत करता हूं।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री जी ने जिस किसी के पास काला धन या अनडिसक्लोज्ड इनकम है,...(व्यवधान) अगर वे बैंक एकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं, ...(व्यवधान) तो उनमें से 50 प्रतिशत धन गरीब कल्याण कोष में जायेगा,...(व्यवधान) यह योजना घोषित की है।...(व्यवधान) लेकिन हमने देखा कि पहले की इनकम डिसक्लोजर स्कीम और वर्तमान स्कीम में कुछ लोग मिसचीफ कर रहे हैं, ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी की योजना को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।...(व्यवधान) मुंबई के बांद्रा में मेरा जन्म हुआ था।...(व्यवधान) बांद्रा के एक छोटे घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2,00,000 करोड़ रूपये की इनकम घोषित की।...(व्यवधान) वास्तव में उसके पास एक ढेला भी नहीं है।...(व्यवधान) उसी प्रकार से एक और व्यक्ति ने गुजरात में 13,500 करोड़ रूपये की घोषणा की।...(व्यवधान) जो मिसचीवियस पर्सन्स हैं, वे मोदी सरकार की भव्य योजना को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री शरद त्रिपाठी, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी जी को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का, खासकर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 20 नवम्बर और 21 नवम्बर, 2016 के बीच, रात तीन बजे इंदौर-पटना एक्सप्रेस का जो दर्दनाक हादसा हुआ,...(व्यवधान) उसमें लगभग 150 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 180 लोग बुरी तरह से घायल हुये हैं।...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि इस हादसे में मरे हुए लोगों में से 128 लोगों ने "अपघाती बीमा " चुन कर रेल टिकट निकलवाया था और कुल 698 लोगों के रिजर्वेशंस में से 128 मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को कितना बीमा दिया गया है और जिन लोगों ने "अपघाती बीमा " चुन कर टिकट लिया था, उनको कितनी आर्थिक मदद दी गयी है?...(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास मौजूदा रेलवे रिजर्वेशन फार्म उपलब्ध है जिसमें किसी भी तरक का इंश्योरैंस समेत टिकट निकलवाने का कोई कॉलम नहीं दिया गया है,...(व्यवधान) ऐसे में यात्री बिना इंश्योरैंस यात्री टिकट निकालें तो 10,00,000 रूपये तक का बीमा नहीं मिल पायेगा, यदि नहीं तो मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि मौजूदा फॉर्म को अपडेट कराकर ही यात्री को उपलब्ध कराया जाये,...(व्यवधान) क्योंकि रेल यात्रियों की जिंदगी और परिवार का सवाल है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन - उपस्थित नहीं।

श्री पी. करूणाकरण - उपस्थित नहीं।

श्री लखन लाल साहू।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, जहां पर तेजी से विकास हो रहा है।...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद बिलासपुर दूसरे नम्बर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है,...(व्यवधान) जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान 'सिम्स' के नाम से मेडिकल संस्था संचालित है।...(व्यवधान) जो छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है,...(व्यवधान) जिसमें वर्तमान समय स्नातक के कुल 150 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।...(व्यवधान) आज की आवश्यकताओं को देखते हुए वे पर्याप्त नहीं हैं।...(व्यवधान) क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में डॉक्टरों की कमी है,...(व्यवधान) इस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की पढ़ाई में स्नातक की सीट्स की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) बिलासपुर एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र है।...(व्यवधान) बिलासपुर में 'सिम्स' जैसा शिक्षण संस्थान संचालित है,...(व्यवधान) इस संस्था की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आगामी समय में कम्युनिटी मेडिसिन, फोरैंसिक मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, जियोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी, एनेस्थिसिया जैसे विषयों में स्नातकोत्तर, पी.जी. क्लास खोलने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) इस संबंध में उक्त संस्थाओं द्वारा एवं राज्य सरकार की ओर से भी मांग संबंधित विभाग से की गई है और एमसीआई को भी पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सरकार द्वारा सौ सीट का मेडिकल कालेज आम्बिकापुर में स्वीकृत किया गया, जिसका उद्घाटन श्री नड्डा जी ने किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

अतः मेरा निवेदन है कि सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मेडिकल ग्रेज्युएशन एमबीबीएस की वर्तमान 150 सीट को बढ़ाकर 300 सीट एवं (एमडी) पीजी की कक्षाओं की स्वीकृति देने की महान कृपा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और कमल भान सिंह मराबी को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, हर वर्ष चिकनगुनिया तथा डेंगू का प्रकोप पूरे प्रदेश और देश में फैलता है।...(व्यवधान) इस बार तो यह महामारी के रूप में देश में फैला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश के कुछ राज्यों में, विशेषकर दिल्ली में भी इस बीमारी की गंभीरता इतनी थी कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस संबंध में टिप्पणी की थी।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। बीमारी के बारे में जानने के लिए खून जांच की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी।...(व्यवधान) मैंने मार्च के महीने में चेतावनी दी थी कि चिकनगुनिया तथा डेंगू की बीमारी की रोकथान करने की चिंता की जाए, किंतु कोई उपाय नहीं किए गए। इस बीमारी का ठीक से रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है कि कितने लोग बीमार हुए। इसका कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।...(व्यवधान) इसके बावजूद भी करीब 15 हजार रोगियों की पहचान की गई कि वे चिकनगुनिया से बीमार हुए हैं।...(व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को महामारी के रूप में पहचान कर इसकी रोकथाम के उपाय किए जाएं।...(व्यवधान) यदि श्रीलंका मलेरिया मुक्त हो सकता है, तो हम भी इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इस बीमारी की ठीक प्रकार से टेस्टिंग की व्यवस्था हो और भविष्य में यह रोग व्यापक तौर पर न फैले, इसकी चिंता करने की जरूरत है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अजय मिश्रा टेनी और श्री नारणभाई काछड़िया को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दा लाना चाहता हूं जिसका सामना इन दिनों मुंबई उपनगरीय रेल यात्रियों को करना पड़ रहा है। मुंबई उपनगरीय रेल सेवा बार -बार बाधित हो रही हैं, जिसमें कल की घटना भी शामिल है, जिसके कारण टिटवाला स्टेशन

पर यात्रियों का भारी हंगामा हुआ। यात्री नाराज़ और निराश थे। उन्होंने रेल पटरियों को अवरुद्ध कर रेल यातायात रोक दिया। ऐसी ही घटना पिछले वर्ष दिवा स्टेशन पर हुई थी। रेल फ्रैक्चर, ओवरहेड तारों में खराबी और मुंबई उपनगरीय खंड पर पेंटोग्राफ विफलता जैसे विभिन्न कारणों से पिछले कई दिनों से मध्य रेलवे की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। महोदया, पिछले महीने 13 घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए, यात्रियों का धैर्य खत्म हो रहा है और दुर्भाग्य से रेलवे अधिकारियों का रवैया उदासीन है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बार-बार तकनीकी खराबी हो रही है, जिसे मैं सर्दियों के मौसम के कारण समझ सकता हूं, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार बार होना और अन्य परिणाम कुछ ऐसे हैं जिन पर रेलवे को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि तकनीकी और कार्मिक मानदंड अखिल भारतीय आधार पर सामान्य हैं और उन्हें कुछ समय से अद्यतन नहीं किया गया है। यह भी महसूस किया जा रहा है कि दबाव को देखते हुए मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों और पूरे भारत के लिए अलग-अलग मानदंड बनाने होंगे। उदाहरण के लिए, मुंबई उपनगरीय पर जहां रेल हर चार मिनट में गुजरती है, और पूरे भारत के मामले में, ट्रेन हर आधे घंटे में गुजरती है। गैंग मैन के लोगों की संख्या और उनके द्वारा कवर किया जाने वाला क्षेत्र पूरे भारत में एक समान नहीं हो सकता। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से इस मामले को देखने और मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का आग्रह करता हूं ताकि बार-बार सिस्टम विफल होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। मैं रेल मंत्री से ठाकुरली टर्मिनस के काम में शीघ्र कार्रवाई करने का भी अनुरोध करूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदया, मैं एलीफेंट किलिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाना चाहती हूं, लेकिन इसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि आज जो माननीय सदस्य मोदी-मोदी नाम लेकर सदन में बोल रहे हैं, आप संस्कृति स्कोलर हैं। आप जानती हैं कि शब्द 'ब्रह्म' होता है। मोदी जी का जितनी बार नाम ले रहे हैं, मोदी जी का जीवन भी उतना लम्बा हो रहा है और उनका कर्म भी बड़ा हो रहा है।

[अनुवाद]

मैं आम तौर पर असम में और विशेषकर अपने निर्वाचन-क्षेत्र में हाथियों की हत्या का मुद्दा उठाना चाहता हूं। जब हाथी कोहरे में रेलवे ट्रैक पार करते हैं तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पिछले सप्ताह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में सात जंगली हाथियों की मौत हुई है । यह प्रक्रिया चल रही है। हाथी एक घटती हुई प्रजाति है। वनों की खूब कटाई हो रही है। पिछले कांग्रेस शासन-काल के दौरान, जंगलों को नष्ट कर दिया था। कांग्रेस के कारण असम में केवल 25 प्रतिशत वन क्षेत्र बचा है। अब, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूँ कि जब हाथी पास के गांवों से उचित भोजन की तलाश में रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, तो कृपया उन्हें बचाएं। लेकिन रेल लाइनों में उचित सुरक्षा होनी चाहिए। हाथी गलियारों की सुरक्षा के लिए अधिक गार्डों की भर्ती की जानी चाहिए ताकि हाथियों की मौत न हो।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के चलते देशभर में ट्रांसपोर्टर समुदाय को होने वाली परेशानियों के बारे में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, ट्रांसपोर्ट आम-जनता की जरूरतों को पूरी करने की धुरी है। लेकिन कैश की तंगी की वजह से आज यह उद्योग एक तरह से बंद पड़ा है।...(व्यवधान) ट्रांसपोर्ट का सभी काम कैश में होता है, जैसे रोड टैक्स, परमिट फीस, हाईवे पर टोल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, एंट्री फीस, हाईवे के ढाबे पर खाना, मेकैनिकल मरम्मत, लोडिंग चार्जिस इत्यादि में कैश की आवश्यकता होती है।...(व्यवधान) अभी सरकार ने बैंकों से कैश निकालने की जो लिमिट रखी है, उससे ट्रांसपोर्टर्स का काम चलने वाला नहीं है। जिस कारण से ट्रांसपोर्ट मूवमेंट एकदम ठंडा पड़ा है।...(व्यवधान) मेरा सुझाव है कि ट्रांसपोर्टर्स को उनके करंट अकाउंट में से पांच लाख रुपये तक बैंकों से निकालने की सुविधा सरकार प्रदान करे, जिससे ट्रकों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू हो सके और आम-जनता को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में नोहर, भाद्रा और तारानगर के 25 गांवों को नहर से छोड़ दिया गया था।...(व्यवधान) परिस्थिति यह बनी हुई है कि यह मुद्दा वर्ष 1983 का है और पंजाब सरकार हरियाणा और राजस्थान को उनके हिस्से का पानी नहीं दे रही है।...(व्यवधान) इन गांवों के लोग काफी समय से इसका विरोध कर रहे हैं और पिछले पांच दिनों से वह पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। यहां की स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 1983 के समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से का जो 8.6 एमएएफ पानी का हिस्सा है, वह उसको दिया जाए ताकि गांवों के लोगों को नहर के माध्यम से पानी मिल सके।...(व्यवधान) राजस्थान बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर अपना कोई स्टैंड ले।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।...(व्यवधान)

महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इस मुद्दे को पहले भी सदन में उठा चुकी हूं।...(व्यवधान) 27 अक्टूबर को मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख, जहां एक पवित्र स्थान नैमिषारण्य है, जहां के दधीचि कुण्ड की बार-बार बात होती है, दधीचि ऋषि की बात होती है, उसी धरा पर 27 अक्टूबर को 55 गायें काट दी गयीं।...(व्यवधान) मैं इस मुद्दे को सदन में नहीं उठा सकी क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हुए कुछ नेता यहां नोटबंदी की बात करते हैं, लेकिन वहां के प्रशासन को देखने की इन्होंने कोशिश नहीं की है।...(व्यवधान) हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। 55 गायों के अवशेष वहीं पड़े हैं।...(व्यवधान) 28 अक्टूबर को मैं स्वयं वहां गयी थी। मैं जब वहां धरने पर बैठ गयी तो मुझे आश्वासन दिया गया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।...(व्यवधान) उनको पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। इस घटना के बाद 55 गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें तीन गाय मृत पायी गयीं और बाकियों को बचा लिया गया।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि जो ऐसे घृणित अपराध करता है और गायों को काटता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का सरकार गठन कराए और ऐसे अपराध करने वालों को सजा दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती वीणा देवी को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र का विषय उठाने का मुझे समय दिया।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर की ओर दिलाना चाहती हूं।...(व्यवधान) यहां पर अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य समुचित ढंग से नहीं चल रहा है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिलों के लगभग चार सौ चयनित गांवों में बिजली नहीं है।...(व्यवधान) बिजली के अभाव में लोग विभिन्न सुविधाओं से वंचित रह कर कष्टदायी जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं।...(व्यवधान) आजादी के 69 वर्षों के बाद भी शिवहर के गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, जिससे औद्योगिक विकास, साक्षरता एवं क्षेत्रीय विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है।...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना का कार्य ईएमसी, ईनरोवो, गोदरेज और टेक्नोपावर लिमिटेड कम्पनी कर रही है।...(व्यवधान) यह स्थानीय बिचौलियों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रही हैं। इसकी जांच...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। श्रीमती कोथापल्ली गीता।

श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): महोदया, आपकी आज्ञा से, क्या मुझे यहां से बोलने की अनुमति मिल सकती है?

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक अत्यावश्यक मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं... (*व्यवधान*)

मैं सभा के ध्यान में लाना चाहूंगी कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में, केंद्र ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया था... (*व्यवधान*) आदिवासियों का मत है कि आदिवासी क्षेत्र में एक आदिवासी विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमने मानव संसाधन विकास मंत्री को कई

अभ्यावेदन दिए हैं... (*व्यवधान*) यहां, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को बताना चाहूंगी कि हालांकि समिति ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था, फिर भी एजेंसी क्षेत्र में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय अभी भी लंबित है... (*व्यवधान*) मेरे क्षेत्र में नब्बे प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। निर्वाचन-क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और कोई शैक्षणिक सुविधा नहीं है... (*व्यवधान*)

अतः, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करें। धन्यवाद... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में प्रश्न उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) महासमन्द मेरा लोक सभा क्षेत्र है। यहां के तीन रेलवे स्टेशन महासमुंद, बागबहरा और कोमारखान रेलवे मंडल संबलपुर में आते हैं और इसका जोन भुवनेश्वर है, जिसे इसमें जोड़ दिया गया है, जिसके कारण तकनीकी और यात्री सुविधाओं संबंधी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं।...(व्यवधान) इस समस्या का निराकरण करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मैंने कई बार आग्रह किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आधिकारी क्या रिपोर्ट देते हैं, अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है।...(व्यवधान)

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तीनों स्टेशनों को छत्तीसगढ़ के रेल मंडल रायपुर में जोड़ा जाए, ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

नियम 377 के अधीन मामले[8*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। प्रथा के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से विषय का पाठ सौंप सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

[8*] सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) सिविल सेवकों द्वारा संसद सदस्यों के प्रति नवाचार मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में नौकरशाहों और अधिकारियों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे संसद सदस्यों से संपर्क नहीं करते, भले ही उनके मोबाइल और लैंडलाइन पर कई कॉल और संदेश भेजे गए हों। पिछले 20 दिनों से मैं रक्षा क्षेत्र के एक सार्वजनिक उपक्रम के सीएमडी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मंत्रिमंडल मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम करने वाला एक आईएएस अधिकारी सांसदों के कॉल पर बहुत कम ध्यान देता है। मैं इन दोनों मामलों को संबंधित मंत्रियों के ध्यान में लाया हूँ। ऐसी गतिविधियाँ न केवल प्रोटोकॉल और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन हैं, बल्कि सभा और जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी गरिमा का भी अपमान है। ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और ऐसे उल्लंघनों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधानों के साथ कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

(दो) बिहार के गया शहर में फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरि मांझी (गया) : मेरा संसदीय क्षेत्र गया (बिहार) पर्यटन की दृष्टि से विश्व का धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है। जहाँ पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक बोध गया एवं विष्णुपद दर्शन के लिए आते-जाते रहते हैं, साथ ही साथ विशिष्ट लोगों का भी आना-जाना लगा रहता है, जिसके कारण शहर में आये दिन ट्रैफिक जाम की समस्या लगी रहती है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, मज़दूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विदित है कि गया शहर में एक भी फ्लाई ओवर के नहीं रहने के कारण जगह-जगह पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि गया शहर में आविलम्ब फ्लाई ओवर का निर्माण करवाने की कृपा की जाये।

(तीन) झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक पोस्टल डिवीजन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम प्रमंडल में डाकघरों की संख्या आवश्यकता के अनुपात में काफी कम है जिसके कारण कोल्हान प्रमंडल में रहने वाले लोगों को विशेषकर जनजाति के लोगों को डाक सेवाओं संबंधी कार्यों में कई परेशानियां हो रही हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत केवल जमशेदपुर डाक डिवीजन है जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले तीन जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एवं सराईकेला-खरसवा में डाक संबंधी कार्य को संचालित करता है। उपर्युक्त तीन जिलों के वृहत् क्षेत्र में एक मात्र जमशेदपुर डाक डिवीजन कार्यालय होने की वजह से डाक संबंधी कार्य बेहतर एवं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसके अधीन सैंकड़ों उप-डाकघर एवं शाखा-डाकघर संचालित हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि डाक संबंधी सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोल्हान प्रमंडल में स्थित एकमात्र डाकघर डिवीजन को विभाजित कर चाईबासा, जिला पश्चिम सिंहभूम में एक आतिरिक्त डिवीजन स्थापित किया जाए जिससे डाक कार्य को उपरोक्त क्षेत्रों में तीव्रता एवं सुविधा मिलेगी, इसके साथ ही साथ डाक विभाग के कार्य में सुगमता आएगी जो लाखों ग्रामीणों को लाभान्वित करेगा।

(चार) मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क और जलाशय परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मेरे दमोह लोक सभा क्षेत्रान्तर्गत निम्न तीन योजनायें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति न मिलने के कारण विगत लम्बे समय से लंबित है, जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें दमोह जिला अन्तर्गत ग्राम बालाकोट से ग्राम मनका तक लगभग 3 किलोमीटर के मार्ग में फारेस्ट क्लीयरेंस न होने के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है जिससे क्षेत्रीय लोगों को लगभग 50 किलोमीटर आधिक की दूरी तय कर आवागमन करना पड़ रहा है तथा दमोह विधान सभा से जबेरा विधान सभा में जाने में आधिक दूरी व समय लगता है। दूसरा निरन्दपुर जलाशय परियोजना, जिला सागर के प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति दिनांक 11.07.1992 को पुनजीरवित करने हेतु प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार के पास दिनांक 11.01.2016 को प्रेषित किया गया है, जिस पर स्वीकृति अभी अपेक्षित है, जिससे यह परियोजना विगत लम्बे समय से लंबित है तथा सागर जिला अंतर्गत ही झमारा से रमपुरा-हाड़ीकाट-आमापानी-सरसला निर्माणाधान मार्ग में नौरादेही वन अभ्यारण्य का क्षेत्र आने से कार्य रूका हुआ है। इस मार्ग के बनने से जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय मार्ग जुड़ जायेगा।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वांछित वन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाये।

(पांच) महाराष्ट्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : केन्द्र सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का समावेश करने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास न होने की वजह से देश तथा राज्य के विकास में बाधाएँ आ रही हैं।

मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र के भिवंडी शहर तथा परिसर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ लोग अपनी दिनचर्या बहुत ही कठिनाई और चिंताजनक स्थिति में बिता रहे हैं। केंद्र सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भिवंडी तथा महाराष्ट्र राज्य के नीचे दर्शाये गये जिलों के अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का समावेश करने की मांग राज्य सरकार तथा अल्पसंख्यक जनता से हो रही है। जिन जिलों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों का बहुउद्देशीय कार्यक्रम अंतर्गत समावेश करना है, उन जिलों के नाम हैः- 1. (ठाणे) तहसील-भिवंडी, मुंब्रा, मिरा भाईदर, 2. (नाशिक) तहसील- नाशिक, मालेगांव, 3. (सांगली) तहसील- मिरज, 4. (जलगांव) तहसील जलगांव, भुसावल, बोधवल, 5. (बुलढाणा) तहसील- मलकापुर, 6. (अकोला) तहसील- अकोला, 7. (धुले) तहसील-धुले, 8. (अमरावती) तहसील- अमरावती, 9. (औरंगाबाद) तहसील-औरंगाबाद।

इन जिलों के अल्पसंख्यक क्षेत्रों का समावेश इस योजना में होने से अल्पसंख्यक क्षेत्रों का भौतिक व सामाजिक विकास तेजी से होगा। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत इन सब क्षेत्रों के शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा खेल मैदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निधि की उपलब्धता होगी।

अतः मैं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय से नम्र निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त सूची के अल्पसंख्यक क्षेत्रों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता से समावेश करने की कृपा करें।

(छह) झारखंड में तेनुघाट बांध से बोकारो इस्पात संयंत्र तक नहर का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बोकारो जिले के तेनुघाट में बोकारो स्टील प्लांट को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1965 में तेनुघाट डैम के निर्माण कार्य की शुरूआत हुई। सन् 1972 में डैम से बोकारो स्टील प्लांट के लिए निर्मित कैनाल में पानी सप्लाई शुरू हुआ। तब से अब तक बोकारो स्टील प्लांट अपने उत्पादन एवं कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति हेतु इसी कैनाल पर निर्भर हैं। परन्तु इस कैनाल के सही रख-रखाव नहीं होने के कारण कैनाल की स्थिति जर्जर हो गयी है और आये दिन कैनाल टूटने एवं पानी रिसाव की घटनाएँ होती रहती हैं। ऐसी एक घटना 2.11.2016 को घटी जिसमें 23 नं. चैनल के समीप कैनाल टूट गया, जिसके कारण बोकारो स्टील प्लांट को पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गयी। इस कारण कंपनी की कई मिले बंद हो गयी जिससे 460 करोड़ से आधिक का नुकसान अब तक हो चुका है। कैनाल की देखरेख एवं मरम्मत का कार्य झारखण्ड सरकार के जल संसाधन विभाग एवं बोकारो इस्पात संयंत्र का संयुक्त रूप से है, परन्तु तालमेल की कमी के कारण इसकी देख-रेख सही ढंग से नहीं हो रही है, जिसका नतीजा सामने है। पानी आपूर्ति नहीं होने से कॉलोनियों में भी पेयजल आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। अंततः 17/18 नवम्बर को बोकारो स्टील प्लांट द्वारा कैनाल के टूटे हुए भाग पर स्टील प्लेट लगाकर मरम्मत करवायी गयी फिर भी पानी का आंशिक रिसाव जारी है। चेयरमैन सेल ने स्थल का स्वयं दौरा कर इसे भयावह बताया और नुकसान की बात स्वीकार की। अगर बोकारो स्टील प्रबंधन द्वारा शुरू दिन से ही सक्रियता दिखाई जाती तो कंपनी को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त कैनाल के पूर्ण जीर्णोद्धार करने हेतु बोकारो इस्पात संयंत्र एवं राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाये।

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'अन्न पशु प्रथा' के तहत पशुमालिकों द्वारा त्याग दिए गए मवेशियों से फसलों को बचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरा लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर जो कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर किसानों ने पिछले तीन वर्षों से सूखे एवं ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद इस साल किसी तरह रबी की फसल बोई है, लेकिन अन्ना पशु प्रथा के कारण उनके खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। इस प्रथा में विशेष रूप से अवारा गाय एवं बछड़े बड़ी संख्या में लगभग 1000 से 1500 तक झुण्ड में चलते हैं तथा जिस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं, वहाँ की फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस कारण सर्दी के समय में किसानों को अपनी फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। किसान रात-रात भर खेतों की रखवाली में खड़े रहते हैं। अतः मेरी केंद्र सरकार से माँग है कि उक्त समस्या पर राज्य सरकार को निदेरशित कर ग्राम सभा स्तर पर इस प्रथा को रोकने हेतु तारों की चारदीवारी/बाउण्ड्री बनवाने का कष्ट करें।

(आठ) राजस्थान में उदयपुर के निकट आहड़-बनास संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण तथा इस स्थल का पर्यटन हेतु विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : मोहनजोदड़ों का निर्माण ईसा पूर्व 26वीं शताब्दी में हुआ था और यह सिन्धु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।

राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। उदयपुर के पास पाई गई आहड़ सभ्यता के इतिहास का प्रारम्भ सिन्धु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आहड़ बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या के प्रमाण पाये गये हैं और भारत की पहली मूर्तिकला के नमूने सिन्धु घाटी सभ्यता के जमाने के हैं। दिल्ली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है।

आहड़ सभ्यता के 110 स्थल बनास नदी के किनारे बसे हैं, जिनमें पछमता व गिलुण्ड गांव भी शामिल हैं। यहाँ ताम्र पाषाणकला कालीन संस्कृति है। पछमता व गिलुण्ड में पाई गई मिट्टी की बनी ईंटों से उस काल की वैज्ञानिक तकनीक का पता चलता है और जमीन में खोद कर बनाई गई अनाज की कोठियों से पता चलता है कि यह आहड़ संस्कृति की एक बस्ती है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पौराणिक सभ्यता पछमता एवं गिलुण्ड में मिले पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित कर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

(नौ) पूर्वी उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थापित वन ग्राम (वन टांगिया गांव) को स्थायी भू-पट्टे प्रदान करने और इन्हें राजस्व गांवों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : देश के अन्दर आजादी के पूर्व वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ब्रिटिश सरकार ने वन्य ग्राम (वन टांगिया गांव) बसाए थे। इन गांवों का उद्देश्य ग्राम समाज और सरकार की फालतू भूमि पर वन लगाने, उनकी सुरक्षा और उनके विकास का था। इसके बदले में सरकार ने उन्हें कुछ जमीन दी थी, लेकिन आज़ादी के बाद इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। पूर्वी उ.प्र. में गोरखपुर-कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक 56 ऐसे गांव हैं जो वन्य ग्राम (वन टांगिया गांव) हैं। जंगलों के बीच में होने के कारण कोई भी बुनियादी सुविधा इन लोगों के पास नहीं है। इन गांवों में सड़क नहीं हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार इन्हें पंचायत चुनाव में भाग लेने का आधिकार मिला। देश आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं लेकिन ये लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। पिछली सरकार ने इन गांवों को राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता देने के लिए कानून पास किया था और यह तय किया था कि जो परिवार 75 वर्ष से आधिक उन गांवों में रह रहे हैं उन्हें स्थायी पट्टा देकर राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की बात हुई थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में मात्र 80 प्रतिशत लोगों को जमीन का पट्टा तो दिया गया लेकिन राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता इन्हें अब तक नहीं मिल पायी है।

हमारा आग्रह है कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले। बुनियादी सुविधाओं से वंचित एक बड़ी आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जमीन का स्थायी पट्टा देकर उन्हें राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता दी जाए तथा इन सभी गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए।

(दस) जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुई क्षति के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरेली (गुजरात) में नील गाय, सुअरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक आति महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना है जो कि ओलावृष्टि, आतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, अत्यधिक वर्षा, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम है। इस योजना से किसानों का कृषि कार्य करने में रूझान बढ़ा है और आधिक से आधिक लोग कृषि कार्य से जुड़ रहे हैं जिससे कि देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

नील गाय, भुंड (सुअर) तथा अन्य जानवरों के द्वारा भी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समावेश नहीं होने के कारण सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं प्राप्त होता है एवं किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के जानवरों द्वारा नष्ट की गई फसलों के नुकसान की भरपाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत समावेश करने की योजना किसान हित में लागू की जाये।

(ग्यारह) राजा रवि वर्मा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स को केरल के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कसारगोड से संबद्ध किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मावेलीक्करा में स्थित राजा रवि वर्मा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। ललित कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के अपने प्रयासों के बावजूद, कॉलेज एक उच्च संस्था से समर्थन का हकदार है। मैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड को औपचारिक रूप से राजा रवि वर्मा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स को अपने ऑफसाइट विभाग के रूप में शामिल करने का निर्देश देने के लिए कदम उठाए, क्योंकि इससे निस्संदेह संस्थान को अपनी शोध गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में बड़ी सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी और फाइन आर्ट्स और सौंदर्यशास्त्र को आगे बढ़ाने के इच्छुक अधिक छात्रों और विद्वानों को नए पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सरकार को मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से इस मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(बारह) कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अग्नि शमन प्रबंधन हेतु पृथक बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत, चामराजनगर में 1450 वर्ग किलोमीटर और मैसूर जिले में 2791 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें मैसूर जिले के एच.डी. कोटे और नंजनगुड वन क्षेत्र और बी.आर.टी. बाघ परियोजना, बांदीपुर बाघ परियोजना, कावेरी वन्य जीवन डिवीजन, कोलेगल और श्री मलाई महादेश्वरा वन्य जीवन डिवीजन, चामराजनगर जिले के कोलेगल शामिल हैं। हर वर्ष दिसंबर से अप्रैल के दौरान कई एकड़ वन भूमि आग से नष्ट हो जाती है और परिणामस्वरूप कई एकड़ वनस्पति नष्ट हो जाती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 538.65 एकड़ और 2015 -16, राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर वन प्रभाग में 724.55 एकड़, 2014 -15 के दौरान, 200 एकड़ और 2015 -16 के दौरान, कावेरी वन्यजीव डिवीजन , कोलेगल में 186 एकड़, 2014-15 के दौरान, 200 एकड़ और 2015-16 के दौरान, मलाई महादेश्वरा वन्यजीव डिवीजन, कोलेगल में 416 एकड़, 2014-15 के दौरान 27.5 एकड़ और 2015-16 के दौरान, बी.आर.टी. टाइगर प्रोजेक्ट डिवीजन में 26.77 एकड़ वन भूमि आग लगने से नष्ट हो गई। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, वन विभाग को "अग्नि प्रबंधन" के तहत अलग से अनुदान की आवश्यकता है क्योंकि वे अभी भी अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के अनुदान से व्यय कर रहे हैं।

अतः, मैं केंद्र सरकार से अगले बजट में "अग्नि प्रबंधन" के तहत अनुदान के आवंटन के लिए अलग से प्रावधान करने और जंगल की आग से बचने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र को अधिकतम अनुदान जारी करने का आग्रह करता हूं।

(तेरह) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों विशेषकर एलॉए स्टील प्लांट, दुर्गापुर के आधुनिकीकरण हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ममताज़ संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): मैं केंद्र सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण की ओर आकर्षित करती हूं।

देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र के उन्नयन, आधुनिकीकरण और क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र को इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है।

मैं सरकार से इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं।

(चौदह) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत को फसल बीमा की इकाई के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ओडिशा में रबी 1999-2000 से रबी 2015-2016 सीज़न तक लागू की गई है। ख़रीफ़ सीज़न - 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ़.बी.वाई.) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसे हमारे राज्य में लागू किया जा रहा है। फसल कटाई प्रयोग (सी.सी.ई.) धान की फसल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाते हैं और अन्य फसलों के लिए, यह ब्लॉक स्तर पर होता है। पी.एम.एफ़.बी.वाई. के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सी.सी.ई. को जी.पी.आर.एस. सुविधा युक्त स्मार्ट फोन द्वारा कैप्चर किया जाना है और इसे फ़सल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। स्मार्ट फोन खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तकनीकी विकास और सी.सी.ई. के संचालन के लिए इसे अपनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पी.एम.एफ.बी.वाई. के परिचालन दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर पी.एम.एफ.बी.वाई. को लागू करने वाले राज्य भारत सरकार से सी.सी.ई. के वृद्धिशील खर्चों और स्मार्ट फोन/बेहतर प्रौद्योगिकी की लागत की 50% प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(पंद्रह) महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शैगांव तहसील में जालम्ब गांव के निकट समपार पर रेल ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा (महाराष्ट्र) की तहसील शैगांव अंतर्गत जालम्ब गांव के पास मेन सड़क पर एक रेलवे फाटक है जो भुसावल-नागपुर-कोलकत्ता जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है जिस पर हर दस मिनट पर एक रेलगाड़ी इस रेलवे फाटक से होकर जाती है जिसके कारण हर दस मिनट पर रेलवे फाटक बंद करना पड़ता है जो कभी दस मिनट तो कभी आधे बजे तक बंद रहता है। इस मार्ग पर कई रोगियों को उपचार के लिए ले जाने, बुलढाणा मुख्यालय एवं कोर्ट जाने और शैगांव में कोर्ट जाने वालों का आवागमन होता है। बार-बार फाटक बंद होने से उनको कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर फाटक बंद होने से लम्बा जाम लग जाता है। उपरोक्त रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल बना दिया जाए तो इस रेलवे फाटक से आने-जाने में लोगों को काफी सुविधा होगी।

सरकार से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र बुलढाणा (महाराष्ट्र) की तहसील शैगांव अंतर्गत जालम्ब गांव के पास मेन सड़क पर स्थित रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल बनाने हेतु संबंधित आधिकारी को निदेरशित करने का कष्ट करें।

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): मैं सरकार के ध्यान में एक ऐसा मामला लाना चाहता हूं जो लंबे समय से लंबित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने आंध्र प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि भारतीय रेल राज्य में एक नया रेलवे ज़ोन स्थापित करेगा।

आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से नई ट्रेनों, अतिरिक्त प्लेटफार्मों, अतिरिक्त लाइनों और बेहतर सेवाओं की मांग बढ़ रही है। लेकिन, अलग रेलवे जोन न होने के कारण इन मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नए रेलवे जोन से राज्य में ट्रेनों की माल ढुलाई और यात्री क्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय इंटर-कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। चूँकि राज्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।

उपरोक्त के आलोक में, मैं सरकार से अधिनियम में किए गए वादे का सम्मान करने और आंध्र प्रदेश को जल्द से जल्द एक नया रेलवे जोन देने का आग्रह करता हूं।

(सत्रह) त्रिपुरा में छह केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): केंद्रीय विद्यालय (के.वी.) योजना को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अलावा बच्चों में बालपन से ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देशभक्ति को आत्मसात करने की दिशा में बहुत ही सफल पाया गया है।

केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हमारे देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक के.वी. स्थापित किया जाना है। अभी, त्रिपुरा में 8 (आठ) जिले हैं और उनमें से गोमती, सिपाहीजोला और खोवाई को अभी भी इस तरह की योजना में शामिल किया जाना बाकी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय कृपया त्रिपुरा राज्य में 6 (छह) और उपरोक्त जिलों में 3 (तीन) के.वी. स्थापित करने पर विचार करे और अन्य 3(तीन) में (1) खुमुलवंग, टी.टी.ए.-ए.डी.सी. का मुख्यालय, (2) बेलोनिया, दक्षिण त्रिपुरा जिले का मुख्यालय और (3) धर्मनगर, उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय । स्थानीय महत्व और कर्मचारियों की संख्या और अन्य राज्यों की आबादी की विविधता के कारण भी के.वी. की स्थापना आवश्यक है।

(अठारह) केरल के कोट्टायम में हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट के विनिवेश की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): भारी घाटे के अंतर को पाटने के लिए धन जुटाने के के लिए हताशा में केंद्र ने नीति आयोग के कहने पर सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, ऐसा लगता है कि उन्हे हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम (केरल)को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में विनिवेश के लिए उपयुक्त ठहराने के मत पर पुनर्विचार करना चाहिए।

हजारों से अधिक संख्या में एच.एन.एल. श्रमिकों और उनके परिवारों की याचिका, जो अब निराश और संकट में हैं, अपने मूल निकाय एच.पी.सी. से लगातार प्रदर्शन कर रहे इस मिनी -रत्न सरकारी उपक्रम को यह साबित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि यह वसूली का प्रयास करने के लिए सक्षम है। फिर भी केंद्र ने एच.एन.एल. के लिए लंबे समय से लंबित आधुनिकीकरण पैकेज के लिए धन की एक किश्त के निवेश पर निष्क्रिय और असंवेदनशील होना चुना। विनिवेश के लिए पी.एस.यू. की सूची को अंतिम रूप देते समय, नीति आयोग ने एच.एन.एल. को उसकी मूल एच.पी.सी. से अलग की गई एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानने पर ध्यान नहीं दिया या नज़रअंदाज कर दिया।

एच. एन. एल. उत्पादकता और लाभप्रदता दोनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, एच.एन.एल. एक सकारात्मक निचले स्तर का आंकड़ा दर्ज करने में कामयाब रही है यद्यपि यह मामूली और नाममात्र है। मैं केंद्र से एच.एन.एल. का विनिवेश करने का विचार छोड़ने और इसके पुनरुद्धार की दिशा में प्रयास करने का आग्रह करता हूं।

———————

<u>अपराह्न 02.02 बजे</u>

<u>सदस्य के अनुचित आचरण की जांच करने के लिए समिति</u>

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): मैं एक सदस्य के अनुचित आचरण की जांच करने के लिए समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

———————————

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या हो गया? अभी कुछ नहीं, अब काम करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं हो गया, अभी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेनी हैं, वह लेने दो। मैं आपकी बात हमेशा सुनती आई हूँ। मेरा हमेशा एक ही प्रपोज़ल है कि मैं तैयार हूं। वे भी चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तभी हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो एक बात करने से कुछ नहीं होगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): हमने आपके माध्यम से उन्हें आश्वासन दिया है मैडम कि हम विमुद्रीकरण के मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या बात है, बोलिए?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हम डिस्क्शन से भागने वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान) नियम-184 के तहत आप चर्चा शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। मद संख्या 15 और 16 को एक साथ लिया जाएगा - डॉ. किरिट सोमैया जी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)[9*]*...*

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट सोमैया जी, आपको चर्चा शुरू करनी होगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, चर्चा चलने दीजिए। मैं आपसे विनती कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अनुदान की मांगों को पास हो जाने दो, अब प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[9*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

<u>अपराह्न 02.04 बजे</u>

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2016-17

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2013-14

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग संख्या 1, 3, 5, 9,11,12,14 से 20, 22, 24 से 30, 32, 34 से 39, 41 से 44, 46 से 55, 58 से 61, 64, 66, 68, 73 से 75, 79 से 91, 93 से 95 और 97 के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ''।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग शीर्ष संख्या 20, 23, 24, 25 और 32 के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों में अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये। "

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री ने जो सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रखी हैं, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** खड़गे जी, मैं कह रही हूँ आप भी इसमें चर्चा करो।

... (व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, जो लगभग 59 हज़ार करोड़ रूपये सरकार की ओर से जो एडीशनल डिमांड के स्वरूप में रखी गयी हैं, मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो नीति है, भूमिका है, उसी दिशा में एक और अगला कदम है। इसमें एग्रीकल्चर से ले कर, सर्विस सैक्टर से ले कर सरकार एक-एक कर के जो कदम उठा रही है, फिर वह डी-मोनेटाइज़ेशन हो या काले धन के ऊपर लगाम लगाने की बात हो। ...(व्यवधान) मैं इनमें से एक-दो बातों का विशेषकर कर उल्लेख करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

अपराह्न 02.05 बजे

(इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

उसके पहले आज सुबह माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्विस टैक्स के सम्बन्ध में जो एक नोटिफिकेशन हमारे सामने ले किया है, यह क्या है?...(व्यवधान) मुझे लगता है कि जब हम सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स की चर्चा करते हैं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं।...(व्यवधान) एक ओर सिर्फ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, काला धन, काला धन, काला काम है।...(व्यवधान) एक ओर सिर्फ इसकी चर्चा थी...(व्यवधान) और दूसरी ओर इस वीसियस चक्र में से सरकार को कैसे बाहर निकालना है, समाज को

कैसे योग्य दिशा में ले जाना है, वह दिशा दिखाने का काम मेरे वित्त मंत्री अरूण जेटली जी कर रहे हैं।...(व्यवधान) जो दो हजार रूपये तक...

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट किरीट जी।

यदि मैं उन्हें कुछ कहने की अनुमति दूं, तो क्या आप अनुदानों की मांगों के दौरान यह चर्चा शुरू करेंगे ? मुझे आश्वासन दो। हर दिन आप ये सब काम करेंगे। क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। अब हमने अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू की हैं। कृपया आप इस पर चर्चा करें।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपकी जो डिस्कशन की बात है, उसे हम किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ। अभी सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स पास होने दीजिए। इस बीच कोई दूसरी बात नहीं होगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इस डिस्कशन पर एग्री हैं?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, नियम 184 में चर्चा कराने वाली बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप अभी सप्लिमेन्ट्री डिमांड पर डिस्कशन करोगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बात अभी नहीं उठानी है। मुझे खेद है। हाँ, किरीट जी , आप अपनी बात जारी रखें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, मेरे जो सहयोगी मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, वे कभी-कभी चर्चा में यह कहते हैं कि काला धन एक शाप है।...(व्यवधान) कभी-कभी वे आँकड़े हमारे सामने रखते हैं कि 35 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है।...(व्यवधान) एक सहजता से प्रश्न आज का हमारा विद्यार्थी पूछता है कि मोदी जी की सरकार को कितने महीने हुए हैं?...(व्यवधान) 24 महीने हुए हैं।...(व्यवधान)

अपराह्न 02.07 बजे

(इस समय श्रीमती अर्पिता घोष और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

काला धन जो 35 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ, क्या वह मोदी के कारण हुआ है?...(व्यवधान) क्या भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. के शासन के कारण हुआ है?...(व्यवधान) यह जो शाप है, वह 60 साल की सरकार का शाप है।...(व्यवधान) इस शाप से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक, काले धन पर एसआईटी से लेकर आज डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। एक ओर हम काले धन से मुक्ति चाहते हैं और दूसरी ओर

नया काला धन जनरेट न हो, जो गए अनेक दिनों से चर्चा चल रही है, आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर दो हजार रूपये तक सर्विस टैक्स से मुक्ति, यानी सरकार का कमिटमेंट है कि वी वान्ट टू गो फोर कैश लेस।...(व्यवधान) कैश एंड टैक्स इवेशन।...(व्यवधान) एक ऐसा सम्बन्ध हो चुका है और इसके लिए जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, वैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं।...(व्यवधान) टाइम्स का जो सर्वे हुआ, उसमें विश्व के टॉप तीन-चार नेताओं में जब मेरे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम आता है तो मुझे उनके ऊपर गर्व, आभिमान महसूस होता है।...(व्यवधान) आज तक कितनी बार इस प्रकार हिन्दुस्तान के नेताओं का नाम आया।...(व्यवधान) वह नाम क्यों आया, क्योंकि एक ओर वह काला धन और दूसरी ओर काला धन जनरेट नहीं होने देना है।...(व्यवधान) इन सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में माननीय वित्त मंत्री जी ने नगर विकास विभाग की सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में रखते समय मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है, मुम्बई मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है।...(व्यवधान) मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस सप्लिमेन्ट्री डिमांड्स में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने एडीशनल धन का, एडीशनल एक्सपेन्डिचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए परमीशन माँगी है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूँ।...(व्यवधान) मैं मुम्बई का उदाहरण देता हूँ। मुम्बई में पिछले 15 वर्ष से मुम्बई मेट्रो की सिर्फ चर्चा होती थी।...(व्यवधान) सिर्फ चर्चा, चर्चा और चर्चा होती थी।...(व्यवधान) मोदी सरकार आई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस बने और पिछले एक साल के अन्दर मुम्बई में पूरे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई।...(व्यवधान) एक लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार और फड़नवीस सरकार ने मान्यता दे दी।...(व्यवधान) जापान सरकार और उसका फाइनैंशियल कार्पोरेशन हमें 1 परसेंट के रेट से इंटरस्ट पर लोन देना चाहता है। जो मैट्रो वाली बात है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो इस प्रकार का इनफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर है, उसके प्रति और आधिक ध्यान हमें देना चाहिए। ...(व्यवधान)

मैं एक और विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे आपने क्रैडिट कार्ड और डैबिट कार्ड की बात की, उसी प्रकार से कैशलैस इकोनॉमी की दृष्टि से आने वाले बजट में इंसैंटिव्स के बारे में विचार करना

चाहिए कि हम कैसे लोगों को एनकरेज करें। ...(व्यवधान) अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसे जी.एस.टी. की बात है, वित्त मंत्री ने अनेक महीनों से जीएसटी के लिए भी कुछ एडीशनल पैसे मांगे हैं। जीएसटी जल्द से जल्द इंप्लीमैंट हो, इसके लिए सारी संसद और सारे प्रदेश की सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदया, मैं वर्ष 2016-17 के लिए 59,978.29 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को पारित करने का समर्थन करता हूं। महोदया, माननीय मंत्री ने अनुदान की दूसरे बैच की अनुपूरक मांगों के लिए अनुरोध किया था। ये सभी मांगें अलग-अलग मंत्रालयों से संबंधित हैं। मैं विशेष रूप से मांग संख्या 32 को लेकर चिंतित हूं जो राज्यों को हस्तांतरित करने के संबंध में है। … (*व्यवधान*) इस मांग में माननीय मंत्री जी ने कुछ राशि निर्दिष्ट की है। मेरा राज्य, यानी तेलंगाना राज्य, एक नया राज्य है। राज्य को फंड ट्रांसफर करने के संबंध में मंत्रालय प्रत्येक तिमाही का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांग रहा है। हमारा एक नया राज्य है। हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि इन अनुदानों को जारी करते समय इसे त्रैमासिक के बजाय वार्षिक आधार पर जारी किया जाए। … (*व्यवधान*)

उसी समय, तेलंगाना राज्य ने माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से नए राजमार्ग बनाने के लिए धन देने का अनुरोध किया है क्योंकि तेलंगाना राज्य में राजमार्गों की संख्या राष्ट्रीय औसत संख्या की तुलना में कम थी। इसलिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, माननीय के. चंद्रशेखर राव ने कुछ अनुदान जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री से मुलाकात की थी।… (*व्यवधान*) इसलिए, कुछ अनुदान जारी होने की स्थिति में, माननीय वित्त मंत्री को इसे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को जारी कर दें ताकि मंत्रालय आने वाले दिनों में तेलंगाना राज्य की मदद कर सके। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं सभी सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदया, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स मूलतः दो वजहों से सदन के सामने आती हैं। जब ऑथराइज़ अमाउंट सफीशियेंट नहीं रह जाता या फिर एडीशनल एक्सपैंडीचर की ज़रूरत महसूस होती है। मैं आज आपके सामने सदन को बताना चाहता हूँ कि इन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण इस लोक सभा के सामने रखा है, जिसके तहत लगभग 35,171 करोड़ रुपये का नैट कैश आउटगो, जिसका मतलब है कि इनक्रीज़ इन नैट स्पैंडिंग इस देश के सामने होगी। लगभग 24805 करोड़ रुपये की राशि का जो व्यय है, वह डिपार्टमैंट और मिनिस्ट्रीज़ की जो सेविंग्ज़ हैं, या फिर जो रिसीट्स और रिकवरी की राशि है, उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स एक महत्वपूर्ण दौर पर इस देश के सामने आई हैं। एक तरफ जहाँ पिछले कई महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट देखने को मिले हैं। चाहे वह यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने की वज़ह से आई आनिश्चितता हो या फिर लगातार चीन में आ रहे स्लो-डाउन की वज़ह से वैश्विक कंजम्पशन नीचे गया हो या फिर अमेरिका में फेड के रेट्स आने वाले समय में क्या होंगे, उसकी वज़ह से हो, कुल मिलाकर पूरे विश्व में, चाहे वह इंवेस्टमेंट हो या प्राइवेट कंजम्पशन हो, उसमें कमी आई है।...(व्यवधान) लेकिन, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था सितम्बर के क्वार्टर में 7.3% की रफ्तार से आगे बढ़ी है और पूरा देश कहीं न कहीं आज भारत की सरकार के द्वारा हो रहे स्पेंडिंग के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है।...(व्यवधान)

आदरणीय महोदया, पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बोल्ड और ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने उठाया है, वह यह है कि काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट

और अघोषित आय से हो रहे इस देश के नुकसान में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए 500 रुपए और एक हजार रुपए के नोट को परिवर्तित करने का एक साहसिक निर्णय आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लिया है।...(व्यवधान) मैं पूरे देश की जनता की तरफ से आदरणीय वित्त मंत्री जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, यह देखने में आता है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर आनिश्चितता होती है, यह एक चुनौती होती है तो यह एक अवसर भी होता है कि हम ऐसी चुनौती को अवसर में बदल कर समय के साथ ताल से ताल मिलाकर अपने देश को एक बेहतर अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सफल लोकतंत्र के रूप में आगे लेकर जाएं।...(व्यवधान) आज पूरा विश्व भारत देश की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है कि भारत में आ रहे इस महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का आने वाले समय में क्या सकारात्मक प्रभाव होगा?...(व्यवधान) मैं फिर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस देश की 65 प्रतिशत युवा आबादी अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को साकार करने का इरादा लेकर तैयार खड़ी है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से मेक-इन-इंडिया, स्किल इंडिया, एप्रैन्टिस एक्ट के माध्यम से रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने का वातावरण निर्माण किया है, निश्चित रूप से यह देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।...(व्यवधान)

महोदया, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं।...(व्यवधान) राजनांदगांव जिला ग्रामीण परिस्थिति का जिला है।...(व्यवधान) आज यह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां पहले लोग सरकार से रोटी, कपड़ा और मकान की अपेक्षा करते थे, आज इन अपेक्षाओं में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है।...(व्यवधान) रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, हर गांव में बिजली की सुविधा, हर खेत में पानी की सुविधा और इन तमाम योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में नई जन अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का और अपने भविष्य के प्रति मजबूत इरादों का सृजन किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इन सारी योजनाओं के पीछे इस सरकार की बेहतर क्रियाशीलता दिखाई देती है कि इस डिमांड्स-फॉर-ग्रांट्स में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का नया आउट-ले घोषित करने की मांग की गयी है।...(व्यवधान) यह जो परिवर्तन है, इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी सिर्फ सरकार की मांग या सरकार से अपेक्षाओं का एक प्रतिबिम्ब नहीं है, बल्कि इस देश में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह जन अपेक्षाओं से आगे बढ़ कर जन आदर्शों की तरफ इस देश की जनता जा रही है, उस दिशा में परिवर्तन हुआ है।...(व्यवधान) जन-अपेक्षाओं से आगे बढ़ कर इस देश की जन शक्ति का एक सकारात्मक दिशा में निराकरण आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया है।...(व्यवधान) उसके सिर्फ तीन उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा ।.. .(व्यवधान)

महोदया, इस देश में प्रधान मंत्री जी के एक आह्वान पर डेढ़ करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेण्डर की सब्सिडी को स्वेच्छा से, गरीबों की सेवा में सरकार उसका उपयोग कर सके, इसके लिए छोड़ा है।...(व्यवधान) यह दर्शाता है कि इस देश की जनता इसके लिए तैयार है, सिर्फ मांग करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी समझ कर, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत आभियान की पहल एक सरकारी पहल न होकर, हर मां, हर बेटी की दिल से निकली दुआ बन कर एक जन आंदोलन, इस भारत देश के स्वाभिमान का जन आंदोलन बन कर आगे बढ़ी है।...(व्यवधान) यह दर्शाता है कि यह देश सिर्फ मांग पर नहीं, बल्कि जन-आदर्शों को लेकर, जन-शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहा है। ...(व्यवधान)

अंत में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज जिसे न सिर्फ हम, बल्कि शायद चाइना हो या दुनिया के अन्य देश हों, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव देखते हैं, पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के नोटों को बदलने की जो योजना है, उसमें इस देश की जनता ने सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया है।

...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है और यह फैसला किया है कि भारत के पुनर्निमाण में इस देश की जनता की भागीदारी सकारात्मक रूप से होगी। ...(व्यवधान)

जन-आदर्शों को प्रणाम करते हुए, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी के इस प्रपोजल का समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से अनुपूरक अनुदानो की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इस विषय पर चर्चा करते समय, मेरे लिए विमुद्रीकरण के मुद्दे पर बात करना महत्वपूर्ण है जिसने पूरे देश को प्रभावित किया है और संसद की कार्यप्रणाली को लगभग पटरी से उतार दिया है। … (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने काले धन के खिलाफ विमुद्रीकरण के कदम का हमेशा समर्थन किया है और हम सभी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो वहां बहुत मुश्किल स्थिति है। यह देश में एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति है। यह एल.ओ.सी. पर युद्ध नहीं बल्कि वित्त क्षेत्र में युद्ध है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी को दलगत राजनीति से उपर उठकर एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा ताकि हमारे देश के लोग जिस आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं उससे निपटा जा सके। अन्य किसी विचार का यहाँ कोई महत्व नहीं होना चाहिए। यह एक तरह की आपात कालीन स्थिति है। इसलिए, अब समय आ गया है कि हमें एक साथ आना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

इतना कहने के बाद, मैं आर्थिक वृद्धि के मुद्दे पर आना चाहूँगा। आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सबसे अधिक दर से विकास कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि विकास हो रहा है, लेकिन यह नौकरी आधारित विकास नहीं है। भारत में हर महीने लगभग दस लाख युवा रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं लेकिन हम नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, जो यहां बेठे हैं, से आग्रह करूंगा कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस पर विचार करें। हमारे लिए नौकरी ही आवश्यक है और कुछ नहीं। … (*व्यवधान*)

इतना कहने के बाद, मैं जी.एस.टी. के मुद्दे पर भी बात करूंगा, जिसका श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने समर्थन किया है। यह महत्वपूर्ण है कि जी.एस.टी. को 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि वादा किया गया है ताकि वो प्रभाव जो नोटबंदी से उत्पन्न हुआ है ,उसे 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम से आंशिक रूप से सुधार जा सके, जो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जी.एस.टी. से अर्थव्यवस्था में अधिक वृद्धि होगी। तो इसकी भरपाई की जाएगी। … (*व्यवधान*)

फिर, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त आयोग के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, विभाज्य पूल हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गई। लेकिन ओडिशा राज्य घाटे में रहा क्योंकि ओडिशा के विषय में विभाज्य पूल का हिस्सा 4.78 प्रतिशत से घटकर 4.62 प्रतिशत हो गया, जिससे 4600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से आग्रह करूंगा कि वे ओडिशा को मुआवजा दें जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि पोलावरम परियोजना के समर्थन के लिए कोई बजटीय प्रावधान न करें, जिसकी हम ओडिशा के लोगों के व्यापक हित में वकालत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बार-बार भारत सरकार से इसका अनुरोध किया है और हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाते रहे हैं। … (*व्यवधान*)

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बस एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो कहते हैं कि यदि हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एक प्रतिशत बढ़ती है, तो स्वास्थ्य देखभाल पर निजी खर्च 1.4 प्रतिशत बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कठिनाइयों के कारण हम भारतीय हर गुजरते दिन के साथ गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजटीय प्रावधान करने का आग्रह करूंगा ताकि 2014 में सत्ता

में आने पर सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संबंध में जो भी आश्वासन दिए थे, उन्हें पूरा किया जा सके... (*व्यवधान*)

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। डिमोनेटाइजेशन एक विषय है जिस पर सभी चर्चा कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग साढ़े बारह लाख करोड़ रुपये भारत सरकार के खजाने में आया है। किसानों के ऊपर कॉआपोरटिव सेक्टर का तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, अगर सही में सरकार चाहती है कि किसान का दर्द दूर हो तो उस आतिरिक्त पैसे से किसानों का कर्ज माफ करने का काम करें। पिछले दिनों प्रश्न काल में यह मुद्दा उठा था कि स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में डैवलप करने की जरूरत है, एक्सेस ग्रांट्स में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के लिए एडीशनल ग्रांट्स की बात नहीं की गई। केन्द्र सरकार एक तरफ कहती है कि 2020, 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला था तो 200 करोड़ रुपये एशियाड और कॉम्नवैल्थ के लिए देने का काम किया था। उसी तरीके से सरकार एक स्पेशल कोरपस बनाकर ग्रामीण स्तर पर एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ उनके स्कूलों में इसे डेवलप करने का कोई प्रावधान किया जाए।

महोदया, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है उसमें सतलुज-यमुना लिंक पर दिशा निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार उस नहर का निर्माण करे। माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि सतलुज-यमुना लिंक के निर्माण में जिस पैसे का उपयोग होना है, चाहे वह पैरामिलिट्री के लिए हो या खुदाई या इंजीनियरिंग के लिए हो, आपकी सरकार आने वाले बजट में नहीं, बल्कि इस एक्सेस ग्रांट्स में एक प्रावधान करे, ताकि इस देश में

जल के लिए युद्ध न हो, किसी की जान न जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एडीशनल ग्रांट्स इस बजट के अंदर देने का काम करे, जिसके तहत उस नहर का निर्माण एक साल के अंदर-अंदर हो।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): *नमस्ते* महोदया। अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। … (*व्यवधान*)

महोदया, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया है, इस पूरे सत्र में संसद नहीं चल रही है और इन परिस्थितियों में बहस या चर्चा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं, किसी भी तरह, आप में से जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। . … (*व्यवधान*)

मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। सरकार, वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। हम मांग करते रहे हैं कि अब तक की गई सभी प्रतिबद्धताओं के लिए हमें विधायी समर्थन मिलना चाहिए। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस चर्चा में भी आंध्र प्रदेश से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। वह मेरा पहला बिंदु है। … (*व्यवधान*)

मेरा दूसरा मुद्दा नोटबंदी पर है। मैं जानता हूं कि यह इस बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं बस कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि नकद आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि दिन-ब-दिन सुधार की जरूरत है, लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक देखें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। इसलिए, हमें हर हफ्ते एक सुधार देखने की जरूरत है ताकि हम इस देश के सभी लोगों के आत्मविश्वास स्तर को बेहतर कर सकें। … (*व्यवधान*)

फिर, ई-भुगतान के लिए सेवा प्रभार का मुद्दा है। आज, कई लोग सेवा प्रभार के कारण ई-भुगतान पद्धति को अपनाने के इच्छुक नहीं हैं। सरकार ने सरकारी लेनदेन पर लगने वाले प्रभार को माफ कर दिया है। हम

सरकार से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं ताकि निजी पार्टियां भी लेनदेन प्रभार माफ कर सकें। यह कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे भी, अगर हमें कैशलेस या कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में बने रहना है, तो डिजिटल लेनदेन को नकद लेनदेन की तुलना में कम महंगा होना होगा। … (*व्यवधान*) सवाल यह है कि हम ऐसा करने के लिए कार्यप्रणाली कैसे सामने लाएं? ऐसा करने के लिए, डिजिटल लेनदेन नकद लेनदेन से कम महंगा होना चाहिए।

महोदया, एक और बात है। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में गया हूं और मैंने अपने लोगों से बात की है - सड़कों पर, सब्जी बाजार में लाइनों में इंतजार कर रहे हैं और गांवों में भी। इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति अलग-अलग स्तर की असुविधा से गुजर रहा है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि वह इस कदम का समर्थन नहीं करता है। मैंने जिनसे भी बात की है, उन सभी ने इस कदम का समर्थन किया है। … (*व्यवधान*)

उन्होंने इसका समर्थन इसलिए किया है क्योंकि वे ऐसे देश की आशा कर रहे हैं जहां भ्रष्टाचार का स्तर कम हो जाए। वास्तव में इस नीति के उनके समर्थन के पीछे यही कारण है। इसलिए, अगर हम अब से छह महीने अथवा अब से एक साल बाद देखते हैं कि भ्रष्टाचार का स्तर कम नहीं हुआ है, या सब कुछ उसी स्तर पर वापस आ गया है, तो मुझे लगता है कि लोग उस परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए, परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण है। आशय तो बहुत नेक है; असुविधा स्वीकार्य है; लेकिन परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण है। अगर हम यह नतीजा प्राप्त नहीं कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत अच्छी स्थिति होगी। … (*व्यवधान*)

इन शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*)

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): महोदया, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (2016-17) पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हम अनुदान की इन मांगों का समर्थन करते हैं। … (*व्यवधान*)

इस साल फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट (2016-17) में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं क्योंकि इसमें बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया था, और कृषि पर भी कुछ ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से, भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है क्योंकि एक स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए स्वतंत्रता और समानता के प्रयास किए जा रहे हैं। … (*व्यवधान*)

कृषि किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत जैसे विकासशील देश के समावेशी वृद्धि के लिए इस क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए नियोजित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित उद्योग और कृषि आवश्यक है। तथापि, कृषि विकास, जिसने कुल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा दिया होगा, में सुधार की संभावना दिखाई नहीं देती है। कृषि पर हाल ही में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पास अच्छा मानसून था और हम अच्छी फ़सल की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि कृषि का विस्तार लगभग चार प्रतिशत था, लेकिन लेनदेन की कमी के कारण अब ऐसा होने की संभावना नहीं है। … (*व्यवधान*)

जिन किसानों से समाज के लिए अन्न पैदा करने और उसके साथ समृद्ध होने की अपेक्षा की जाती है, वे अप्राकृतिक मौतों का शिकार हो रहे हैं। लाखों रुपये निवेश के रूप में खर्च करने वाले किसान कर्जदार हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएँ उनका नुकसान बढ़ा रही हैं और उन्हें मुश्किलों में धकेल रही हैं। सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

जहां तक स्वास्थ्य सेवा का संबंध है, देश में भारी असमानता है। यह शर्म की बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 118 विकासशील देशों में 97वें स्थान पर है। पाँच वर्ष से कम उम्र के कमजोर और अविकसित बच्चों और शिशु मृत्यु दर जैसे अन्य सूचकांकों पर भी भारत का प्रदर्शन खराब है। कुपोषित एवं अल्पपोषित बच्चों के मामले में हम विश्व में अग्रणी नजर आते हैं। हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हम सभी छोटे बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन प्रदान कर सकें जैसा कि कई देशों में प्रदान किया जा रहा है। … (*व्यवधान*)

महोदया, आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का वादा किए लगभग तीन साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इस संसद में दिए गए आश्वासन को लागू नहीं कर रही है। द्विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। जनता आंदोलित और बेचैन है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस सम्माननीय सभा में किए गए वादे के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के आश्वासन को लागू करें। … (*व्यवधान*)

इसके अलावा, जैसा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के दौरान इस सम्माननीय सभा में वादा किया गया था, मैं सरकार से विशाखापट्टनम में एक रेलवे जोन स्थापित करने का अनुरोध करूंगा। … (*व्यवधान*)

महोदया, इन शब्दों के साथ, हम अनुपूरक अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। चूँकि यह संवैधानिक बाध्यता है इसलिए इसे पारित करना होगा। मैं अपनी पार्टी, शिव सेना और अपनी ओर से इसका समर्थन करता हूं।' आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेंटरी ग्रांट्स जनरल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, जो ग्रांट मांगी गई हैं, इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि गांवों का विकास हो, इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। एक बड़ी मांग ऊर्जा मंत्री द्वारा की गयी है। ...(व्यवधान) आज देश में पावर की जो स्थिति है ...(व्यवधान) कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो कुछ राज्यों में पावर की बहुत शार्टेज है। ...(व्यवधान) इसी कारण इस ग्रांट में ऊर्जा विभाग के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये मांगे गये हैं। ...(व्यवधान) जहां ज्यादा पावर मिल रही है, वहां से पावर ट्रांसफर करके, जिन राज्यों में पावर शार्टेज है, उनके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक कदम लिया है, उसके लिए मैं उन्हें सबसे आधिक धन्यवाद देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) पिछले ढाई वर्ष में काले धन को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे पिछले 70 सालों में कभी नहीं लिये गये। ...(व्यवधान) पहली बार मारिशियस के, साइप्रेस के रूट को इस सरकार ने बंद किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान) इसमें कई विषय आ गये हैं, लेकिन मैं किसान होने के नाते किसान के सवाल को यहां रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसने किसानों के लिए अपने बजट में सबसे आधिक धनराशि उपलब्ध करायी है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है। ...(व्यवधान) हर खेत को पानी देने का संकल्प हमारा बहुत पुराना है, जो आज के दिन पूरा हो रहा है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। ...(व्यवधान) किसानों को फसल का नुकसान होता था। ...(व्यवधान) फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की खुशहाली होगी। ...(व्यवधान) उस फसल बीमा योजना से किसान के नुकसान की भरपाई हो रही है। यह बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) जहां तक पशु पालन में दूध के उत्पादन की बढ़ोतरी की बात है। ...(व्यवधान) आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से कृषि सिंचाई के लिए अलग से बिजली की लाइन लगाने का बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई दूध बनाम दारू की है। ...(व्यवधान) दूध वाले काले धन के विरोध में हैं और दारू वाले काले धन के समर्थन में हैं। ...(व्यवधान) यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कई राजनीतिक दलों से जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान) मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस देश का जो वित्तीय ढांचा है, बजटरी प्रोविजन्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ...(व्यवधान) यू.पी.ए. के कार्यकाल में एक परम्परा थी, जबकि बजट के अंदर बड़ी घोषणा हो जाती थी और साल के अंत में 80 हजार करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक काट लिये जाते थे। ...(व्यवधान) जो देश के विकास के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता था, उसकी मात्रा को बहुत सीमित कर दिया जाता था। ...(व्यवधान) पिछले साल पहला वर्ष था ...(व्यवधान) कई वर्षों के बाद, जबकि रिवाइज्ड एस्टीमेट में जो खर्चा सरकार ने किया, वह बजट की योजना से ज्यादा था। ...(व्यवधान) इस बार भी बजट में यह कहा गया था कि प्लान एक्सपेंडीचर साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये होगा। ...(व्यवधान) लेकिन पहली और दूसरी सप्लीमैंट्री डिमांड्स के बाद उसे आलरेडी 5 लाख 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। ...(व्यवधान) इस बार विकास के लिए जो पैसा खर्च होना है, वह बजट योजना की तुलना में 8 फीसदी आधिक होने वाला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, याद रहे कि जब ढाई वर्ष पहले यू.पी.ए. की सरकार थी, तब पूरे विश्व में माना जाता था कि भारत दुनिया की उन पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कभी भी लुढ़क सकती हैं। ...(व्यवधान) भारत के लिए यह शब्दावली का प्रयोग किया जाता था कि जो फ्रेजाइल फाइव हैं, पांच कमजोर अर्थव्यवस्थायें हैं, हम उनमें पहुंच चुके थे।...(व्यवधान) आज भारत के संबंध में यह कहा जाता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, में यह ब्राइट स्पॉट बन गया है और तीसरे वर्ष लगातार दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हिन्दुस्तान होने वाला है।...(व्यवधान) इस बजटरी ग्रांट में खर्चा बढ़ाया जा रहा है और लगभग 60 हजार करोड़ रूपया खर्चा होगा, जिसमें से करीब 36 हजार करोड़ रूपया एकस्ट्रा एक्सपेंडीचर होगा।...(व्यवधान) अगर हम उस एकस्ट्रा एक्सपेंडिचर को देखें तो मनरेगा के इतिहास में पहली बार 47 हजार करोड़ रूपये, पहले से चार हजार करोड़ रूपये ज्यादा, मनरेगा में खर्च किया जाएगा। कांग्रेस ने नारे दिये थे, लेकिन खर्चा कभी नहीं किया था।...(व्यवधान) उसके आतिरिक्त 'फसल बीमा योजना', किसान के लिए प्राइस

स्टैब्लाइजैशन फंड, 'स्वच्छ भारत', स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं के अंदर यह खर्च किया जायेगा।...(व्यवधान)

जहां तक काले धन का सवाल है, कांग्रेस को वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक शासन में रहने का अवसर मिला था।...(व्यवधान) मैं आज उनको चुनौती देता हूं कि दस साल के शासन में एक कदम वह गिना दें, जो काले धन के खिलाफ उनकी सरकार ने लिया है।...(व्यवधान) आज यह नारा लगाते हैं कि केन्द्र सरकार ने 50 फीसदी टैक्स की सुविधा देकर लोगों को एक मौका दिया है।...(व्यवधान) यह 50 फीसदी नहीं है, उसमें से भी जो आधा बचेगा, 25 फीसदी चार साल के लिए सरकार रखेगी।...(व्यवधान) अगर उसका ब्याज भी जोड़ लिया जाये तो यह लगभग 65 प्रतिशत पड़ेगा।...(व्यवधान) लेकिन, जब इनकी सरकार थी, वह वी.डी.आई.एस. लेकर आई थी और वर्ष 1997 में यह कहा कि असैट की जो कीमत होगी, वह वर्ष 1987 की मानी जायेगी तो इफैक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन ब्लैकमनी पर केवल आठ प्रतिशत था। ...(व्यवधान) उस योजना के तहत कराधान की प्रभावी दर आठ प्रतिशत थी। आज इनको 65 प्रतिशत भी बहुत कम लग रहा है, लेकिन वर्ष 1997 में आठ प्रतिशत इफैक्टिव रेट के ऊपर ये योजना लेकर आये थे।...(व्यवधान)

डिमौनेटाइजेशन, जो सरकार ने 08 नवम्बर, 2016 को कदम उठाया था, उसके तहत मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 30 दिसम्बर, 2016 तक हम इस स्थिति को आधिकतर सामान्य करेंगे।...(व्यवधान) लोगों को जो तकलीफ है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ...(व्यवधान) हर रोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मात्रा में करैंसी बाजार में डालता है, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से डालता है और एक प्रयास है कि आधिक से आधिक अर्थव्यवस्था लेस कैश हो और उसके साथ-साथ डिजिटलाइज हो, इसका प्रयास भी बड़े पैमाने पर चल रहा है।...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इन सप्लिमेंट्री ग्रांट्स को पारित किया जाये। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब मैं 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदानों -दूसरे बैच (सामान्य) की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखती हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग संख्या 1, 3, 5, 9,11,12,14 से 20, 22, 24 से 30, 32, 34 से 39, 41 से 44, 46 से 55, 58 से 61, 64, 66, 68, 73 से 75, 79 से 91, 93 से 95 और 97 के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये:-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदानों -दूसरे बैच (सामान्य) की मांगें पारित हो गईं।

अब मैं वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदानों (सामान्य) की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखती हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग शीर्ष संख्या 20, 23, 24, 25 और 32 के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों में अतिरिक्त राशि की कमी

को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) पारित की गयी।

अपराह्न 02.46 बजे

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016[10*]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित[11*] करता हूँ।

[10*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 8.12.2016 में प्रकाशित।

[11*] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

माननीय अध्यक्ष: अब, हम मद सं. 16 ख लेंगे।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

" कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में नाम जोड़ दिए गए ।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“ कि विधेयक पारित किया जाए ।’’

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 02.48 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2016[12*]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं विधेयक [13*] पुरःस्थापित करता हूँ।

[12*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 8.12.2016 में प्रकाशित ।

[13*] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित ।

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद संख्या 16घ लेंगे।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

" कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में नाम जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव करें ।

... (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

... (*व्यवधान*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): महोदया, एक बार फिर, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से अपील कर रहा हूं कि यदि वे चाहते हैं तो नियम 193 के तहत पुन: मुद्रीकरण पर चर्चा शुरू करें। . ... (*व्यवधान*)

दुर्भाग्य से, उन्होंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों और विनियोजन विधेयकों का भी समर्थन नहीं किया है। हमें उम्मीद थी कि वे इन दो महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर वाद -विवाद करेंगे, जिनका संबंध सभी से है। ... (*व्यवधान*)

साथ ही वे चर्चा से बच रहे हैं। वे वाद -विवाद में भाग नहीं ले रहे हैं ... (*व्यवधान*) वे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। हम अब भी तैयार हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 9 दिसंबर, 2016 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 2.52 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 दिसंबर, 2016 / 18 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित